रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 5, 1970/भाद्र 14, 1892

No. 36 NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 5, 1970/BHADRA 14, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

New Delhi, the 22nd August 1970

G.S.R. 1268.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the All-India Services (Provident Fund) Rules, 1955, namely:—

1. (1) These rules may be called the All-India Services (Provident Fund) Third Amendment Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Services (Provident Fund) Rules, 1955, for sub-rule (1) of rule 14, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) A subscriber may, under clause (b) of sub-rule (1) of rule 12, withdraw from the amount standing to his credit in the Fund,—

(i) a sum not exceeding one-half of such amount or six months' pay, whichever is less, when education is imparted outside India; and

(ii) a sum not exceeding one-half of such amount or three months' pay, whichever is less, when education is imparted in India."

[No. 5/18/69-AIS(II)-A.]

मंत्रीमंडल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1970

सा० का० नि० 1268.—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात अखिल भारतीय सेवा (भविष्य-निधि) नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम अखिल भारतीय सेवा (भविष्य-निधि) तीसरा संशोधन नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

(2) ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. अखिल भारतीय सेवा (भविष्य-निधि) नियम, 1955 में, नियम 14 के उप-नियम

(1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(1) नियम 12 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन कोई भी अंशदाता भविष्य-निधि में अपने नामें जमा कुल रकम का—

(i) यदि शिक्षा भारत से बाहर दी जानी हो तो आधा या 6 महीने का वेतन, इनमें से जो भी कम हो, तक ; और

(ii) यदि शिक्षा भारत में दी जानी हो तो आधा या 3 महीने का वेतन, इनमें से जो भी कम हो, तक

निकाल सकता है।

[संख्या 5/18/69-अ०भा०से० (II)-क]

G.S.R. 1269.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Civil Service Provident Fund Rules, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Civil Service Provident Fund Third Amendment Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Civil Service Provident Fund Rules, for sub-rule (1) of Rule 7-C, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) A subscriber may, under clause (b) of sub-rule (1) of rule 7-A, withdraw from the amount standing to his credit in the Fund,—

(i) a sum not exceeding one-half of such amount or six months' pay, whichever is less, when education is imparted outside India; and

(ii) a sum not exceeding one-half of such amount or three months' pay, whichever is less, when education is imparted in India."

[No. 5/18/69-AIS(II)-B.]

सा० का० नि० 1269.—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात भारतीय सिविल सेवा भविष्य निधि नियम में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम भारतीय सिविल सेवा भविष्य निधि तीसरा संशोधन नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

(2) ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय सिविल सेवा भविष्य निधि नियम में नियम 7-ग के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(1) नियम 7-क के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन कोई भी अंशदाता भविष्य निधि में अपने नाम में जमा कुल रकम का—

(i) यदि शिक्षा भारत से बाहर दी जानी हो तो आधा या 6 महीने का वेतन, इनमें से जो भी कम हो, तक ; और

(ii) यदि शिक्षा भारत में दी जानी हो तो आधा या 3 महीने का वेतन, इनमें से जो भी कम हो, तक

निकाल सकता है।

[संख्या 5/18/69-अ०भा०से० (II)-ख]

G.S.R. 1270.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Civil Service (Non-European Members) Provident Fund Rules, 1943, namely:—

1. (1) These rules may be called the (Non-European Members) Provident Fund Third Amendment Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Civil Service (Non-European Members) Provident Fund Rules, 1943, for sub-rule (1) of rule 6-C the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) A subscriber may, under clause (b) of sub-rule (1) of rule 6-A, withdraw from the amount standing to his credit in the Fund,—

(i) a sum not exceeding one-half of such amount or six months' pay, whichever is less, when education is imparted outside India; and

(ii) a sum not exceeding one-half of such amount or three months' pay, whichever is less, when education is imparted in India."

[No. 5/18/69-AIS(II)-C.]

सा० का० नि० 1270.—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात, भारतीय सिविल सेवा (जो सदस्य यूरोपीय नहीं हैं) भविष्य निधि नियम, 1943 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम भारतीय सिविल सेवा (जो सदस्य यूरोपीय नहीं हैं) भविष्य निधि तीसरा संशोधन नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

(2) ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय सिविल सेवा (जो सदस्य यूरोपीय नहीं हैं) भविष्य निधि नियम, 1943 में नियम 6-ग के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

"(1) नियम 6-क के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन कोई भी अंशदाता भविष्य निधि में अपने नामे जमा कुल रकम का—

(i) यदि शिक्षा भारत से बाहर दी जानी हो तो आधा या 6 महीने का वेतन, इनमें से जो भी कम हो, तक ; और

(ii) यदि शिक्षा भारत में दी जानी हो तो आधा या 3 महीने का वेतन, इनमें से जो भी कम हो, तक

निकाल सकता है।

[संख्या 5/18/69—अ०भा०से० (II) -ग

G.S.R. 1271.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Secretary of State's Services (General Provident Fund) Rules, 1943, namely:—

1. (1) These rules may be called the Secretary of State's Services (General Provident Fund) Third Amendment Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Secretary of State's Services (General Provident Fund) Rules, 1943, for sub-rule (1) of rule 9-C, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) A subscriber may, under clause (b) of sub-rule (1) of rule 9-A, withdraw from the amount standing to his credit in the Fund,—

(i) a sum not exceeding one-half of such amount or six months' pay, whichever is less, when education is imparted outside India; and

(ii) a sum not exceeding one-half of such amount or three months' pay, whichever is less, when education is imparted in India."

[No. 5/18/69-AIS(II)-D.]

B. NARASIMHAN, Under Secy.

सा० प्र० नि० 1271.—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात सैक्रेटरी आफ स्टेट्स सर्विसेज (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 1943 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम सैक्रेटरी आफ स्टेट्स सर्विसेज (सामान्य भविष्य निधि) तीसरा संशोधन नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

(2) ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. सैक्रेटरी आफ स्टेट्स सर्विसेज (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 1943 में नियम 9-ग के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

"(1) नियम 9-क के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन कोई भी अंशदाता भविष्य निधि में अपने नामे जमा कुल रकम का—

(i) यदि शिक्षा भारत से बाहर दी जानी हो तो आधा या 6 महीने का वेतन, इनमें से जो भी कम हो, तक ; और

(ii) यदि शिक्षा भारत में दी जानी हो तो आधा या 3 महीने का वेतन, इनमें से जो भी कम हो, तक

निकाल सकते है।"

[संख्या 5/18/69-अ०भा०से० (II)-घ]

बी० नरसिंहन्,
अवर सचिव, भारत सरकार।

(Department of Personnel)

New Delhi, the 22nd August 1970

G.S.R. 1272.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and of all other powers enabling him in that behalf the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Economic Service Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Economic Service (Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 15th day of February, 1964.

2. In rule 10 of the Indian Economic Service Rules, 1961, for clause (iii) the following clause shall be substituted, namely:—

"(iii) to make temporary arrangements to fill duty posts against vacancies, other than regular, which are not to be brought on the recruitment roster, by *ad hoc* promotion of officers of the lower grades of the Service in accordance with the procedure laid down in rule 8 for filling regular vacancies apportioned to promotion quota."

Memorandum Explanatory to the Cabinet Secretariat (Department of Personnel) Notification Amending Rule 10 (iii) of Indian Economic Service Rules, 1961 with Retrospective Effect from 15-2-1964

Rules 11(3) and 12 of the Indian Economic Service Rules, 1961 provide for deputation of Service Officers to State Government, non-Governmental organisation or to any other post. Service Officers are thus released for manning of posts outside the Service within India as well as under the United Nations and its allied agencies. It, therefore, becomes necessary to fill the resultant Service vacancies pending the return of officers. However, there is no provision in the Service Rules except under Rule 10(iii) of the I.E.S. Rules under which the Controlling Authority i.e. Cabinet Secretariat (Department of Personnel) is competent to fill a duty post for a period not exceeding six months. This provision is however, not adequate for the purpose, considering that under Regulation 4(1)(a) of the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958 a vancancy can be filled without consultation with the Union Public Service Commission for a period not exceeding one year. Further, Regulation 3 *ibid* lays down that consultation with the Commission is not necessary in respect of appointments expressly provided for in the Service Rules. As there is no provision in the Service Rules for filling vacancies other than the regular vacancies, it has been decided to apply the same procedure to promotions in vacancies arising out of deputations etc. under Rule 11(3) and 12 as that adopted for regular promotions under Rule 8. The purpose of giving retrospective effect to the Rules from 15th Feburuary, 1964 is to cover the appointments made in the past without consulting the Union Public Service Commission. This procedure has been agreed to by the Union Public Service Commission. The retrospective enforcement of the Rules will not, however, adversely affect the interest of any service Officer.

[No. F.2/4/67-Estt(E).]

G.S.R. 1273.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and of all other powers enabling him in that behalf the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Statistical Service Rules, 1961, namely:—

1.(1) These rules may be called the Indian Statistical Service (Third Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 15th day of February, 1964.

2. In rule 10 of the Indian Statistical Service Rules, 1961, for clause (iii) the following clause shall be substituted, namely:—

"(iii) to make temporary arrangements to fill duty posts against vacancies, other than regular which are not to be brought on the recruitment roster, by *ad hoc* promotion of officers of the lower grades of the

Service in accordance with the procedure laid down in rule 8 for filling regular vacancies apportioned to promotion quota."

Memorandum Explanatory to the Cabinet Secretariat (Department of Personnel) Notification Amending Rule 10(iii) of Indian Statistical Service Rules, 1961 with Retrospective effect from 15-2-1964.

Rules 11(3) and 12 of the Indian Statistical Service Rules, 1961 provide for deputation of Service Officers to State Government, non-Governmental Organisation or to any other post. Service Officers are thus released for manning of posts outside the Service within India as well as under the United Nations and its allied agencies. It, therefore, becomes necessary to fill the resultant Service vacancies pending the return of officers. However, there is no provision in the Service Rules except under rule 10(iii) of the I.S.S. Rules under which the Controlling Authority i.e. Cabinet Secretariat (Department of Personnel) is competent to fill a duty post for a period not exceeding six months. This provision is however, not adequate for the purpose considering that under Regulation 4(1)(a) of the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958 a vacancy can be filled without consultation with the Union Public Service Commission for a period not exceeding one year. Further, Regulation 3 *ibid* lays down that consultation with the Commission is not necessary in respect of appointments expressly provided for in the Service Rules. As there is no provision in the Service Rules for filling vacancies other than the regular vacancies, it has been decided to apply the same procedure to promotions in vacancies arising out of deputations etc. under Rules 11(3) and 12 as that adopted for regular promotions under Rule 8. The Purpose of giving retrospective effect to the Rules from 15th February, 1964 is to cover the appointments made in the past without consulting the Union Public Service Commission. This procedure has been agreed to by the Union Public Service Commission. The retrospective enforcement of the Rules will not, however, adversely affect the interest of any Service Officer.

[No. F.2/4/67-Estt(E).]

M. R. BHARDWAJ, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 19th August 1970

G.S.R. 1274.—In exercise of the powers conferred by section 28 of the Foreign MUarriage Act, 1969 (33 of 1969) and in supersession of the Special Marriage (Diplomatic and Consular Officers) Rules, 1955, published with the notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs No. S.R.O. 1679, dated the 29th July, 1955, the Central Government hereby makes the following rules, namely—

1. **Short title.**—These rules may be called the Foreign Marriage Rules, 1970.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Foreign Marriage Act, 1969 (33 of 1969);

(b) "form" means a form appended to these rules;

(c) "Marriage Officer" means a person appointed under section 3 of the Act to be a Marriage Officer ;

(d) "section" means a section of the Act.

3. **Particulars regarding name, etc., of Marriage Officer to be displayed in his office building.**—Every Marriage Officer shall arrange to have his name, designation and the working hours of his office to be written in English, Hindi and the language of the country, place or area in which he functions as such, and displayed in a conspicuous part of the building in which his office is situated.

4. **Notice of intended marriage.**—(1) When a marriage is intended to be solemnised under the Act by or before a Marriage Officer, the parties to the intended marriage shall give notice thereof in writing in the form specified in the First Schedule to the Act to such Officer either in person or by registered post.

(2) The notice shall be accompanied by a statement containing the following particulars:—

(i) Present addresses of the parents of the parties to the intended marriage.

(ii) Name or names of the country or countries in which the parties are ordinarily resident.

(iii) State or States in India to which the parties or, as the case may be, the Indian party, to the marriage belong or belongs.

5. **Payment of fee.**—(1) Where the notice is delivered in person, the fee prescribed therefor in rule 15 shall be paid in cash to the Marriage Officer.

(2) Where the notice is sent by registered post, the fee shall be remitted by money order at the remitter's expense and the receipt issued to the remitter by the post office through which the remittance is made shall be attached to the notice.

6. **Procedure after notice.**—(1) As soon as the notice is received by the Marriage Officer, a distinctive serial number shall be entered on it and such number and the date of receipt of the notice shall be attested by the signature of the Marriage Officer.

(2) If the notice is in conformity with the requirements of the Act, it shall be entered in the Marriage Notice Book which shall be a bound volume, the pages of which are machine-numbered consecutively with a normal index attached.

(3) If the notice is not in conformity with the requirements of the Act, it shall be got rectified by the parties if they are present, or returned to them by post for rectification and retransmission within a date to be fixed for this purpose, if they are not present.

(4) The Marriage Officer shall have every item of rectification attested by both the parties.

7. **Publication of notice.**—The marriage Officer shall cause the notice to be published:—

(a) by affixing a true copy thereof under his seal and signature to some conspicuous place in his office;

(b) by forwarding true copies thereof under his seal and signature to the parents of the parties to the marriage; and

(c) by publishing it in a newspaper having circulation,—

(i) in the State or States in India to which the parties or, as the case may be, the Indian party, to the marriage belong or belongs; and

(ii) in the country or countries in which the parties are ordinarily resident.

8. **Procedure for inquiry into objection.**—(1) If any objection to the solemnisation of the intended marriage (together with the fee prescribed therefor in rule 15) is received by the Marriage Officer, he shall record the nature of the objection in his Marriage Notice Book and fix the date and time for inquiry into the objection and cause notice thereof to be given in Form I to the person who has made the objection and also the parties to the intended marriage.

(2) On the date so fixed or on any other date to which the inquiry may be adjourned, the Marriage Officer shall make an inquiry into the objection and record in his own hand in the maner prescribed in the Code of Civil Procedure 1908 (5 of 1908), the evidence given.

9. **Time and place of solemnisation.**—The intended marriage may be solemnised at any time during office hours of the Marriage Officer or at any other time convenient to him—

(a) at the official house of residence of the Marriage Officer, or

(b) at the office in which the business of the Marriage Officer is transacted, or

(c) at such other place within a reasonable distance from such official house or office as the Marriage Officer may in his discretion approve :

Provided that additional fees as specified in rule 15 shall be payable for the solemnisation of any marriage at a place referred to in clause (c).

10. **Manner of registration of marriages.**—Registration of a marriage under section 17 shall be effected by the Marriage Officer by entring a certificate of the marriage in Form II in the Marriage Certificate Book.

11. **Appeals to the Central Government.**—An appeal to the Central Government under sub-section (3) of section 11 or sub-section (4) of section 17 shall be in the form of a memorandum which shall be accompanied by a certified copy of:

(i) the notice of the intended marriage or, as the case may be, of the application for registration of the marriage;

(ii) the statement of the reasons for which the Marriage Officer refused to solemnise or, as the case may be, register the marriage.

12. **Language for purposes of section 24.**—The language for purposes of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 24 shall be English, Hindi or any other language approved by, the Marriage Officer.

13. **Transmission of copies of entries in marriage records.**—The Marriage Officer shall send to the Secretary to the Government of India, Ministry of External Affairs, New Delhi, three true copies certified in Form III of all entries or corrections made by him in the Marriage Certificate Book at intervals of three months on, or as early as possible after, the 1st day of January, April, July and October in each year and one such copy shall be transmitted by the said Secretary to the Registrar-General or to each of the Registrars-General of Births, Deaths and Marriages of the State or States in India to which the parties to the marriage belong.

14. **Form of Marriage Certificate Book.**—(1) The Marriage Certificate Book shall be a bound volume, the pages of which are machine-numbered consecutively with a nominal index attached. Every marriage certificate entered therein during each calendar year shall be consecutively numbered and every authenticated copy of a certificate issued to the parties shall bear the number and date, month and year in which the certificate was entered.

(2) For the removal of doubts it is hereby provided that the Marriage Certificate Book maintained under the Special Marriage (Diplomatic and Consular Officer) Rules, 1955, may be continued to be used with necessary adaptations as the Marriage Certificate Book for the purposes of these rules and the Act.

15. **Scale of fees.**—(1) The following fees shall be levied by Marriage Officers:—

(i) For every notice of intended marriage, Rs. 39.50 (to be paid by the parties to the marriage).

(ii) For recording an objection, Rs. 15.75 (to be paid by the person making the objection).

(iii) For every inquiry into an objection, Rs. 78.75 (to be paid by the person making the objection).

(iv) For every notice to the parties to an intended marriage, of the date and time fixed for inquiry into an objection, Rs. 3.25 (to be paid by the person making the objection).

(v) For solemnising a marriage, Rs. 78.75 (to be paid by the parties to the marriage).

(vi) For solemnising a marriage at a place referred to in rule 9 (c) (to be paid paid by the parties to the marriage), Rs. 31.50 in addition to the fee of Rs. 78.75 referred to in item (v) above.

(vii) For registration by Consular Officer of a marriage solemnised in accordance with the local laws (in addition to the fee for attendance), Rs. 78.75 (to be paid by the party desiring registration).

(viii) For receiving notice of a cave at Rs. 78.75.

(ix) For certificate by Marriage Officer of notice having been given and posted up, Rs. 15.75.

(x) For a certified copy of reasons recorded under section 11 or section 17 for refusal to solemnise or, as the case may be, for refusal to register, a marriage, Rs. 8/- (to be paid by the applicant).

(xi) For certified copy of an entry (to be paid by the applicant)—

(a) in the Marriage Notice Book Rs. 8.00, or

(b) in the Marriage Certificate Book, Rs. 8.00.

(xii) For certification of a document referred to in sub-section (1) of section 24, Rs. 3.25.

(xiii) For making a search (to be paid by the applicant)—

(a) if the entry is of the current year, Rs. 8.00,

(b) if the entry relates to any previous year or years, Rs. 15.75.

(2) A, receipt duly signed by the Marriage Officer shall be issued for all fees received by him under the Act and these rules. The receipt books shall be bound volumes of one hundred leaves each with foils and counter-foils which shall be machine-numbered consecutively. All moneys received by the Marriage Officer shall be credited to such head of account as the Central Government may specify in this behalf.

FORM I

[*See* rule 8(1)]

NOTICE

Before the Marriage Officer ..... Place

In the matter of the Foreign Marriage Act, 1969 (33 of 1969)

and

In the matter of the intended marriage between

A B
and } (Give names and addresses)
C D

E F Person making the objection.

To

.....

Whereas notice of an intended marriage between A B and C D was received by the Marriage Officer .....,

And whereas E F has preferred certain objections (set out overleaf) to the solemnisation of the marriage;

And whereas the Marriage Officer will hold an inquiry into the matter of the said objections on the ..... day of ..... 19 ..... at his office;

You are hereby required required to be present at.....A.M./P.M. on the said day together with all documents on which you rely and witnesses whom you may desire to be examined on your behalf.

Take notice that in default of your appearance at the time specified above on the aforesaid day the inquiry will be made, and the matter aforesaid decided, in your absence.

Given under my hand and seal

Station:

Date:

(Set out the objection on the reverse of this notice).

Signature
Marriage Officer

Seal

FORM II

[*See* rule 10]

Certificate of registration of marriage

I, E F, hereby certify that A B *and* C D* informed me in writing that he/she desires his/her marriage* to be registered under section 17 of the Foreign they desire their marriage

Marriage Act, 1969 (33 of 1969) and that each of the parties to the said marriage, in my presence and in the presence of three witnesses who have signed hereunder, have declared that a ceremony of marriage has been performed between them and that they have been living together as husband and wife since the time of marriage, and the said marriage has this day of..... 19..... been registered under this Act.

(Sd.) E F
Marriage Officer for.....

(Sd.) A B (Husband).

(Sd.) C D (Wife).

(Sd.) GH
(Sd.) OS } Three witnesses.
(Sd.) KL

Dated, the.....day of.....19....

*Strike out whatever is inapplicable.

FORM III

[*See* rule 13]

Form of Certificate

Certified that the above entries from the Marriage Certificate Book in this office bearing serial number..... are true copies of all the entries and corrections in the Marriage Certificate Book kept by me during the three months ending..... .....

Signature
Marriage Officer.

Station:
Date:

[No. T.434(8)/69.]
PRITHI SINGH, Jt. Secy.

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 अगस्त 1970

जी० एस० आर० 1274.—विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969 (1969 का 33) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की अधिसूचना स० का० नि० आ० 1679 तारीख 29 जुलाई, 1955 के साथ प्रकाशित विशेष विवाह (राजनियिक और कौंसलीय आफिसर) नियम 1955 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम—ये नियम विदेशीय विवाह नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969 (1969 का 33) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ग) "विवाह आफिसर" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन विवाह आफिसर के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

3. विवाह आफिसर के नाम आदि के बारे में विशिष्टियां उसके कार्यालय भवन में सम्प्रदर्शित करना—प्रत्येक विवाह आफिसर अपना नाम, पदनाम और अपने कार्यालय का कार्य समय अंग्रेजी, हिन्दी और उस देश, स्थान या क्षेत्र की भाषा में जिसमें वह इस हैसियत से कार्य करता है, लिखवाएगा और जिस भवन में उसका कार्यालय है उसके किसी सहजदृश्य भाग में संप्रदर्शित करेगा ।

4. आशयित विवाह की सूचना—(1) जब कोई विवाह अधिनियम के अधीन किसी विवाह आफिसर द्वारा या उसके सामने अनुष्ठित किए जाने के लिए आशयित हो तब आशयित विवाह के पक्षकार ऐसे आफिसर को लिखित में अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में सूचना या तो स्वयं या रजिस्ट्रीकृत डाक से देंगे ।

(2) सूचना के साथ निम्नलिखित विशिष्टियों से युक्त एक कथन होगा :—

(i) आशयित विवाह के पक्षकारों के मातापिताओं के वर्तमान पते ।

(ii) उस देश का नाम या उन देशों के नाम जिसका/जिसके पक्षकार मामूली तौर पर निवासी हैं ।

(iii) यथास्थिति विवाह के पक्षकार या, भारतीय पक्षकार भारत के जिन राज्यों के या जिस राज्य का है उनका या उसका नाम ।

5. फीस का संदाय—(1) जहां सूचना स्वयं ले दी हो वहां उसके लिए नियम 15 में विहित फीस विवाह आफिसर को नकद रूप में संदत्त की जाएगी ।

(2) जब सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजी गई हो तो विप्रेषित करने वाले के खर्चे पर फीस मनीआर्डर द्वारा भेजी जाएगी और जिस डाक घर के जरिए वह विप्रेषित की गई है उसके द्वारा विप्रेषिती को जारी की गई रसीद सूचना से संलग्न कर दी जाएगी ।

6. सूचना के पश्चात प्रक्रिया—(1) ज्यों ही विवाह आफिसर द्वारा सूचना प्राप्त हो, उस पर सुस्पष्ट क्रम संख्या दर्ज कर दी जायगी और सूचना की प्राप्ति की ऐसी संख्या और तारीख विवाह आफिसर के हस्ताक्षरों द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी ।

(2) यदि सूचना अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप है तो वह विवाह की सूचना पुस्तक में दर्ज कर दी जाएगी जिसे जिल्द बंधी हुई होगी, जिसके पृष्ठ मशीन से क्रमशः संख्यांकित होंगे और जिसके साथ एक सांकेतिक अनुक्रमणिका संलग्न होगी ।

(3) यदि सूचना अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो यदि पक्षकार उपस्थित है तो वह उनसे परिशोधित करवा ली जाएगी या यदि पक्षकार उपस्थित नहीं हैं तो उन्हें परिशोधित करने और इस प्रयोजन की लिए नियत के जाने वाली तारीख के भीतर पुनः पेषित करने के लिए डाक से वापस कर दी जाएगी ।

(4) विवाह आफिसर परिशोधन की प्रत्येक मद को दोनों पक्षकारों से अनुप्रमाणित करवायगा ।

7. सूचना का प्रकाशन—विवाह आफिसर सूचना को प्रकाशित करवायगा—

(क) अपने कार्यालय में किसी सहज दृश्य स्थान पर अपनी मुद्रा और हस्ताक्षरों से युक्त एक सही प्रति को चिपका कर ;

(ख) अपनी मुद्रा और हस्ताक्षरों से युक्त सही प्रतियां विवाह के पक्षकारों के माता-पिताओं को भेज कर; और

(ग) इसका किसी ऐसे समाचार पत्र में प्रकाशन करके जिसका परिचलन —

(i) भारत के उस राज्य या उन राज्यों में है जिसके विवाह के पक्षकार या, यथास्थिति विवाह का भारतीय पक्षकार है; और

(ii) उस देश या उन देशों में है जहां के पक्षकार सामान्यतः निवासी हैं।

8. आक्षेप की जांच के लिए प्रक्रिया—

(1) यदि आशयित विवाह के अनुष्ठान के बारे में कोई आक्षेप (उसके लिए नियम 15 में विहित फीस सहित) विवाह आफिसर को प्राप्त हो तो वह आक्षेप की प्रकृति विवाह की सूचना पुस्तक में अभिलिखित करेगा और आक्षेप की जांच के लिए तारीख और समय नियत करेगा और जिस व्यक्ति ने आक्षेप किया है उसे और आशयित विवाह के पक्षकारों को भी प्ररूप में सूचना दिलवायगा ।

(2) ऐसे नियत तारीख को या किसी अन्य तारीख को जिसको जांच स्थगित की जाय, विवाह आफिसर आक्षेप की जांच करेगा और दिए गए साक्ष्य को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) में विहित रीति से स्वयं अपने हाथों से अभिलिखित करेगा ।

9. अनुष्ठान का समय और स्थान:—आशयित विवाह का अनुष्ठान विवाह आफिसर के कार्यालय समय के दौरान किसी भी समय या उसकी सुविधानुसार किसी अन्य समय में :—

(क) विवाह आफिसर के शासकीय निवास गृह में, या

(ख) उस कार्यालय में जिसमें विवाह आफिसर का काम होता है, या ;

(ग) ऐसे शासकीय गृह या कार्यालय से उचित दूरी के भीतर ऐसे अन्य स्थान में जिसका विवाह आफिसर अपने विवेक पर अनुमोदन करे; अनुष्ठापित किया जा सकेगा :

परन्तु खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी स्थान पर विवाह के अनुष्ठान के लिए नियम 15 में यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त फीस संदेय होगी ।

10. विवाह के रजिस्ट्रीकरण की रीति—धारा 17 के अधीन किसी विवाह का रजिस्ट्रीकरण विवाह आफिसर द्वारा विवाह की प्रमाणपत्र पुस्तक में प्ररूप II में विवाह का एक प्रमाणपत्र दर्ज करके किया जायगा ।

11. केन्द्रीय सरकार को अपील—धारा 11 की उपधारा (3) या धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय सरकार को कोई अपील शपथ के रूप में होगी जिसके साथ निम्नलिखित की एक प्रमाणित प्रति लगी होगी—

(i) आशयित विवाह की सूचना या, यथास्थिति विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की ;

(ii) जिन कारणों से विवाह आफिसर ने विवाह को अनुष्ठापित करने से या यथा-स्थिति रजिस्टर करने से इन्कार कर दिया हो उनके कथन की ।

12. धारा 24 के प्रयोजनों लिए भाषा—धारा 24 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए भाषा अंग्रेजी, हिन्दी या विवाह आफिसर द्वारा अनुमोदित कोई अन्य भाषा होगी ।

13. विवाह अभिलेखों में की प्रविष्टियों की प्रतियों का परेषण—विवाह आफिसर विवाह प्रमाण पत्र पुस्तक में अपने द्वारा दर्ज की गई सभी प्रविष्टियों की या शुद्धियों की प्ररूप III में प्रमाणित तीन सही प्रतियां सचिव, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को तीन महीने के अन्तराल से या हर वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के प्रथम दिन के पश्चात यथा सम्भव शीघ्र भेजेगा, और ऐसी एक प्रति उक्त सचिव द्वारा उस राज्य के या उन राज्यों के, जिसके विवाह के पक्षकार हैं, हर एक रजिस्ट्रार जनरल, जन्म, मृत्यु और विवाह को परेषित की जाएगी ।

14. विवाह प्रमाणपत्र पुस्तक का रूप—(1) विवाह प्रमाण पत्र, पुस्तक बन्धी हुई जिल्द में होगी, जिसके पृष्ठों पर मशीन से क्रमवार संख्या डली होगी और साथ ही एक नामिम अनुक्रमणिका होगी । हर एक कैलेण्डर वर्ष के दौरान उसमें प्रविष्ट प्रत्येक विवाह प्रमाणपत्र क्रमवार संख्यिकत किया जायगा और पक्षकारों को जारी किए गए प्रमाण पत्र की प्रत्येक अनुप्रमाणित प्रति पर प्रमाण-पत्र की संख्या और उनके प्रविष्ट करने की तारीख, मास और वर्ष अंकित होगा ।

(2) शंकाओं का निराकरण करने के लिए एतद्द्वारा यह उपबन्धित किया जाता है कि विशेष विवाह (राजनयिक और कौंसलीय आफिसर) नियम, 1955 के अधीन रखी गई विवाह प्रमाणपत्र पुस्तक आवश्यक अनुकूलन सहित इन नियमों और अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विवाह प्रमाणपत्र पुस्तक के रूप में उपयोग की जाती रहेगी ।

15. फीस का मापमान—(1) विवाह आफिसर द्वारा निम्नलिखित फीस उद्ग्रहीत की जायगी:—

(i) आशयित विवाह की प्रत्येक सूचना के लिए 39 रु० 50 पैसे (विवाह के पक्षकारों द्वारा देय) ।

(ii) कोई आक्षेप अभिलिखित करने के लिए 15 रू० 75 पैसे (आक्षेप करने वाले व्यक्ति द्वारा देय) ।

(iii) किसी आक्षेप में की प्रत्येक जांच के लिए 78 रु० 75 पैसे (आक्षेप करने वाले व्यक्ति द्वारा देय) ।

(iv) किसी आशयित विवाह के पक्षकारों को किसी आक्षेप में की जांच के लिए नियत तारीख और समय की प्रत्येक सूचना के लिए 3 रु० 24 पैसे (विवाह के पक्षकारों द्वारा देय)।

(v) विवाह अनुष्ठापित किए जाने के लिए 78 रू० 75 पैसे) विवाह के पक्षकारों द्वारा देय)

(vi) नियम 9 (ग) में निर्दिष्ट स्थान पर विवाह का अनुष्ठान किए जाने के लिए (विवाह के पक्षकारों द्वारा देय) उपर्युक्त मद (5) में निर्दिष्ट 78 रु० 75 पैसे फीस के अतिरिक्त 31 रू० 50 पैसे ।

(vii) स्थानीय विधि के अनुसार अनुष्ठापित किसी विवाह के कौंसलीय आफिसर द्वारा रजिस्ट्रीकरण करने के लिए (उपस्थिति फीस के अतिरिक्त) 78 रु० 75 पैसे (रजिस्ट्रीकरण की वांछा करने वाले पक्षकार द्वारा देय)

(viii) केविएट की सूचना प्राप्त होने के लिए 78 रू० 75 पैसे ।

(ix) विवाह आफिसर द्वारा सूचना दे देने और उसे डाक से भेज देने का प्रमाणपत्र के लिए 15 रू० 75 पैसे ।

(x) किसी विवाह का अनुष्ठान करने से इन्कार करने या यथास्थिति उसे रजिस्टर करने से इन्कार करने पर धारा 11 या धारा 17 के अधीन अभिलिखित कारणों की प्रमाणित प्रति के लिए 8 रु० (आवेदन द्वारा देय)

(xi) (क) विवाह की सूचना पुस्तक में की किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति के लिए 8 रु० (आवेदक द्वारा देय), या

(ख) विवाह प्रमाणपत्र पुस्तक में की किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति के लिए 8 रु० (आवेदक द्वारा देय)

(xii) धारा 24 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज के प्रमाणपत्र के लिए 3 रु० 25 पैसे ।

(xiii) कोई तलाश करने के लिए (आवेदक द्वारा देय)—

(क) यदि प्रविष्टि चालू वर्ष की है तो 8 रु० ।

(ख) यदि प्रविष्टि किसी पूर्व वर्ष या वर्षों से संबंधित है तो 15 रु० 75 पैसे ।

(2) विवाह आफिसर द्वारा अधिनियम और इन नियमों के अधीन प्राप्त की गई सभी फीसों के लिए उसके द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित एक रसीद जारी की जाएगी । रसीद पुस्तकें एक सौ पन्ने के बंधे हुए जिल्दों में होंगी । जिसके हर एक पन्ने पत्रक और प्रतिपत्रक में होंगे और उन पर मशीन से क्रमवार संख्या डली होगी । विवाह आफिसर द्वारा प्राप्त किया गया सभी धन ऐसे लेखे शीर्ष जमा किया जायगा जैसा केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें ।

प्ररूप I

[नियम 8(1) देखिये]

सूचना

विवाह आफिसर.....स्थान के सामने

विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969 (1969 का 33) के मामले में

तथा

क ख और ग घ (नाम और पते दीजिए)

के बीच आशयित विवाह के मामले में

ङ च आक्षेप करने वाला व्यक्ति

सेवा में.....

यतः क ख और ग घ में आशयित विवाह की सूचना विवाह आफिसर द्वारा प्राप्त हुई ;

और यतः ङ च ने विवाह के अनुष्ठान के बारे में कतिपय आक्षेप (जो पीछे की ओर /दिए गए हैं) किए हैं ;

और यतः विवाह आफिसर उक्त आक्षेपों के मामले में जांच.....19 .....के दिन अपने कार्यालय में करेगा ;

तुम से उन सभी दस्तावेजों सहित जिन पर तुम निर्भर हो और उन गवाहों सहित जिनकी तुम अपनी ओर से परीक्षा की जाने की वांछा करते हो उक्त दिन को.....बजे पूर्वाह्न/अपराह्न हाजिर होने की अपेक्षा की जाती है ।

यह चेतावनी दी जाती है कि पूर्वोक्त दिन को उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय पर तुम्हारी हाजरी में व्यतिक्रम होने की दशा में जांच की जायगी और पूर्वोक्त मामला तुम्हारी गैर हाजरी में विनिश्चित किया जायगा ।

मेरे हस्ताक्षर और मुद्रा लगाकर प्रदत्त

स्टेशन :

तारीख :

(आक्षेप इस सूचना के पीछे की ओर दिए जाएं)

हस्ताक्षर,

विवाह आफिसर,

मुद्रा

प्ररूप II

(नियम 10 देखिए)

विवाह के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

मैं.................................एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि क ख और ग घ ने मुझे लिखित रूप में सूचित किया था कि वह अपने विवाह/वे अपने विवाह को विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969 (1969 का 33) की धारा 17 के अधीन रजिस्टर कराने की वांछा करता / करती है /करते हैं और कि उक्त विवाह के पक्षकारों में से हर एक ने मेरी उपस्थिति में और तीन गवाहों की उपस्थिति में जिन्होंने हस्ताक्षर नीचे किए हैं यह घोषणा की है कि उनमें विवाह हो चुका है और कि वे विवाह के समय से पति और पत्नी के रूप में साथ साथ रह रहे हैं और उक्त विवाह इस अधिनियम के अधीन आज..........19......के दिन रजिस्टर कर लिया गया है ।

ह० ङ च

......के लिए विवाह आफिसर

ह० क ख (पति)

ह० ग घ (पत्नी)

ह० छ ज }

ह० छ अ } तीन गवाह

ह० ट ठ }

तारीख 19 का दिन ।

प्ररूप III

(नियम 13 देखिए)

प्रमाणपत्र का प्ररूप

प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय में की विवाह प्रमाणपत्र पुस्तक में से उपर्युक्त प्रविष्टियां जो क्रम संख्या........से संबंधित हैं,.................को समाप्त होने वाले तीन मासों के दौरान मेरे द्वारा रखी गई विवाह प्रमाणपत्र पुस्तक में की सभी प्रविष्टियों और शुद्धियों की सही प्रतियां हैं ।

हस्ताक्षर

विवाह आफिसर

स्टेशन :

तारीख :

[सं० टी० 434(8)/69.]

पृथ्वी सिंह, संयुक्त सचिव ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 27th August 1970

G.S.R. 1275.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 7 of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the State Governments and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations to amend the Indian Police Service (Probationers' Final Examination) Regulations, 1969, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Police Service (Probationers' Final Examination) Amendment Regulations, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I to the Indian Police Service (Probationers' Final Examination) Regulations, 1969, under the sub-heading "X. Forensic Medicine"

(a) item 6 and the corresponding entry "Masquerades in India and how to detect such cases" shall be omitted and

(b) items 9 to 16 shall be re-numbered as items 8 to 15.

[No. 29/2/70-AIS(III).]

B. NARASIMHAN, Under Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1970

सा० का० नि० 1275.—भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षाधीनों की अन्तिम परीक्षा) विनियम, 1969 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षाधीनों की अन्तिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षाधीनों की अन्तिम परीक्षा) विनियम, 1969 की अनुसूची 1 में उप-शीर्ष "एक्स—अपराध विज्ञान (फोरेंसिक मैडिसिन)" के अधीन—

(क) मद 8 तथा तदनुरूप प्रविष्ट "भारत में छद्मवेष (मासक्यूरेट) तथा ऐसे मामलों का पता लगाना" को हटा दिया जाय ; और

(ख) 9 से 16 तक के मदों को 8 से 15 तक की संख्या दी जाय ।

[सं० 29/2/70-अ० भा० से० (III)]

बी० नरसिंहन,
अवर सचिव ।

New Delhi, the 26th August 1970

G.S.R. 1276.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, President hereby makes the following rules further to amend the Senior Investigator and Research Investigator (Ministry of Home Affairs) Recruitment Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Senior Investigator and Research Investigator (Ministry of Home Affairs) Recruitment (Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Senior Investigator and Research Investigator (Ministry of Home Affairs) Recruitment Rules, 1962;

for the entry "Class II (Non-Ministerial) (Gazetted)" in column 3, the entry "Class II (Non-Ministerial/Non-gazetted)" shall be substituted.

[No. A. 12023/2/70-Ad.I(C).]

P. N. KALRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1970

जी० एस० आर० 1276.—राष्ट्रपति, संविधान की धारा 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वरिष्ठ अन्वेषक और अनुसंधान अन्वेषक (गृह मंत्रालय) भर्ती नियम, 1962 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

(1) (1) ये नियम वरिष्ठ अन्वेषक और अनुसंधान अन्वेषक (गृह मंत्रालय) भर्ती (संशोधन) नियम, 1970 कहलाएंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

(2) वरिष्ठ अन्वेषक और अनुसंधान अन्वेषक (गृह मंत्रालय) भर्ती नियम, 1962 की अनुसूची के स्तम्भ 3 में, "श्रेणी–2 (अनिपिक वर्गीय) (राजपत्रित)" प्रविष्ठि के स्थान पर "श्रेणी–2 (अनिपिक वर्गीय/राजपत्रित" प्रविष्ठि, प्रतिस्थापित की जाय ।

[सं० ए० 12023/2/70-प्रशासन-I(ग)]

प्रेम नाथ कालड़ा,

अवर सचिव ।

New Delhi, the 27th August 1970

G.S.R. 1277.—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890), the Central Government hereby makes the following further amendment to the Charitable Endowments (Central) Rules, 1942, namely:—

1. These rules may be called the Charitable Endowments (Central) Amendment Rules, 1970.

2. In the Charitable Endowments (Central) Rules, 1942, in rule 17, after the words "and such acknowledgments shall be furnished within three months from the date of publication of accounts in the Official Gazette", the words "failing which the balances published by the Treasurer shall be presumed to be correct" shall be inserted.

[No. F. 1/2/70-Judl.I.]

N. C. SAREEN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1970

सा० का० नि० 1277.—धर्मार्थ निधि अधिनियम 1890 (1890 का 6) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, धर्मार्थ निधि (केन्द्रीय) नियम, 1942 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. ये नियम धर्मार्थ निधि (केन्द्रीय) संशोधन 1970 कहलाएंगे ।

2 धर्मार्थ निधि (केन्द्रीय) नियम 1942 के 17 में "और ऐसी अभिस्वीकृतियां सरकारी राजपत्र में लेखे के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने के अन्दर भेजी जायेंगी" शब्दों के बाद में "ऐसा न होने पर कोषाध्यक्ष द्वारा प्रकाशित बकाया ठीक समझे जायेंगे" शब्द जोड़ दिए जाएंगें ।

[सं० 1/2/70-न्यायिक-1]

एन० सी० सरीन,
उप सचिव ।

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1970

सा०का०नि० 1124.—राष्ट्रपति की निम्नलिखित उद्घोषणा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है ।

अतः मुझ, वी० वी० गिरि, भारत के राष्ट्रपति को, केरल के राज्यपाल से एक प्रतिवेदन मिला है तथा उस प्रतिवेदन पर और मुझे प्राप्त अन्य जानकारी पर विचार करने के पश्चात्, मेरा समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें कि उस राज्य का शासन भारत के संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संविधान" कहा गया है) के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है;

अतः अब मैं, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा उद्घोषणा करता हूं कि मैं—

(क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित या एतद्द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने हाथ में लेता हूं ;

(ख) घोषित करता हूं कि उक्त राज्य के विधान मण्डल की शक्तियां संसद् के प्राधिकार द्वारा या अधीन प्रयोक्तव्य होंगी ; और

(ग) निम्नलिखित आनुषंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध करता हूं जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए मुझे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैं, अर्थात् :—

(i) इस उद्घोषणा के उपर्युक्त खण्ड (क) के आधार पर अपने हाथ में लिए गए कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करने में, मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस सीमा तक जिस तक मैं ठीक समझूं उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधि पूर्ण होगा ;

(ii) उस राज्य के सम्बन्ध में संविधान के निम्नलिखित उपबन्धों के प्रवर्तन को एतद्द्वारा निलम्बित किया जाता है, अर्थात् :—

अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने का सम्बन्ध ऐसे विधेयक को जो उसमें निर्दिष्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मण्डल को निर्देशित करने से है,

अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा राज्यपाल के समक्ष उपस्थित किए गए प्रतिवेदनों को राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है ; अनुच्छेद 163 और 164 ;

अनुच्छेद 166 के खण्ड (3) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध राज्य की सरकार के कार्य का मंत्रियों के बीच बंटवारे से है ; अनुच्छेद 167 ;

अनुच्छेद 169 के खण्ड (1) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध राज्य की विधान सभा द्वारा संकल्प पारित किए जाने से है ; अनुच्छेद 174 का खण्ड (1) और खण्ड (2) का उपखण्ड (क), अनुच्छेद 175 से लेकर 178 तक, अनुच्छेद 179 का खण्ड (ग) और उसका प्रथम परन्तुक, अनुच्छेद 180 से लेकर 185 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं) ;

अनुच्छेद 186 का उतना भाग जितने का सम्बन्ध विधान सभा के उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों से है ; अनुच्छेद 188 और 189, अनुच्छेद 193 से लेकर 198 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं), अनुच्छेद 199 के खण्ड (3) और (4) ; अनुच्छेद 200 और 201 ;

अनुच्छेद 202 के खण्ड (3) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध विधान सभा के उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों से है, अनुच्छेद 208 से लेकर 211 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं), अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) का परन्तुक और खण्ड (3) का परन्तुक ; और

अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध शासन सहित प्रतिवेदन को राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने से है ;

(iii) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निर्देश का अर्थ उस राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के प्रति निर्देश लगाया जाएगा, और उसमें राज्य के विधान मण्डल या विधान सभा के प्रति किसी निर्देश का, जहां तक उसका सम्बन्ध उसके कृत्यों और उसकी शक्तियों से है, अर्थ, जब तक कि सन्दर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, संसद् के प्रति निर्देश लगाया जाएगा, और विशिष्टतया अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और राज्य विधान मण्डल या विधान सभा के प्रति निर्देश का अर्थ क्रमशः राष्ट्रपति और संसद् के प्रति निर्देश लगाया जाएगा ;

परन्तु इसमें की कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से लेकर अनुच्छेद 159 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं), अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 से लेकर पैरा 4 तक (जिसमें

ये दोनों भी सम्मिलित हैं) के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी और न राष्ट्रपति को इस खण्ड के उपखण्ड (i) के अधीन, उस सीमा तक जहां तक वह ठीक समझे, उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेगी;

(iv) संविधान में उस राज्य के विधान मण्डल के या तद्द्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निर्देश का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अन्तर्गत इस उद्घोषणा के आधार पर संसद् द्वारा या राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड (i) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति निर्देश है, तथा केरल राज्य में यथा प्रवृत्त अर्थान्वयन और साधारण खण्ड अधिनियम (1125 का अधिनियम 7), और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) का उतना भाग जितना राज्य विधियों को लागू है, ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में ऐसे प्रभावी होगा मानो वह उस राज्य के विधान मण्डल का अधिनियम हो।

नई दिल्ली,
4 अगस्त, 1970

वी० वी० गिरि,
राष्ट्रपति।

[संख्या 38/11-70/पोलिटि०1(ए)]

नई दिल्ली,
4 अगस्त, 1970

एल० पी० सिंह,
सचिव।

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1970

सा० का० नि० 1125.—राष्ट्रपति का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आज 1970 के अगस्त के चौथे दिन जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) का अनुसरण करते हुए, राष्ट्रपति अपने प्रसाद से यह निदेश देते हैं कि केरल राज्य की सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या तद्द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के खण्ड (क) के आधार पर अपने हाथ में ले लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।

नई दिल्ली,
4 अगस्त, 1970

वी० वी० गिरि,
राष्ट्रपति

[संख्या 38/11-70/पोलिटि०1(ए)]

नई दिल्ली,
4 अगस्त, 1970

एल० पी० सिंह,
सचिव।

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1970

सा० का० नि० 720 :—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संस्था की परिषद् में भारतीय प्रतिनिधि के पद की भर्ती के निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ** :—(i) इन नियमों को भारतीय प्रतिनिधि, अंतराष्ट्रीय नागर विमानन संस्था की परिषद् (भर्ती) नियम, 1970, कहा जाये ।

(ii) ये सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू हो जायंगे ।

2. **प्रयोग** :—ये नियम, अनुबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संस्था की परिषद में भारतीय प्रतिनिधि के पद की भर्ती के बारे में लागू होंगे ।

3. **संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान** :—पदों की संख्या, पद का वर्गीकरण तथा पद का वेतनमान अनुबद्ध अनुसूची के 2 से 4 तक के स्तम्भों में विनिर्दिष्ट प्रकार से होंगे ।

4. **भर्ती का तरीका, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं** :—इस पद के लिये भर्ती का तरीका, आयु सीमा, योग्यताएं एवं उससे सम्बद्ध अन्य मामले कथित अनुसूची के 5 से 13 तक के स्तंभों में विनिर्दिष्ट प्रकार से होंगे :

परन्तु उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 में निर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा में, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये, छूट दी जा सकेगी ।

5. **अयोग्यताएं** :—कोई भी व्यक्ति, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं; अथवा जिसने एक पत्नी के जीवित रहते ऐसी स्थिति में दूसरी शादी कर ली है कि वह शादी पहली पत्नी के जीवनकाल में हुए होने के कारण अवैध है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिये योग्य नहीं होगा; और

(2) कोई भी स्त्री, जिसकी शादी इस कारण अवैध है कि जिस समय यह शादी हुई उसके पति की पहली पत्नी जीवित थी, अथवा जिसने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की है जिसकी इस शादी के समय एक जीवित पत्नी पहले से विद्यमान है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिये योग्य नहीं होगी ।

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा करने के कुछ विशेष कारण है तो वह किसी व्यक्ति विशेष के मामले में इस नियम से छूट दे सकती है ।

6. **छूट देने का अधिकार** :—जहां केन्द्रीय सरकार की सम्मति में ऐसा करना आवश्यक अथवा वांछनीय हो तो वह, आदेश द्वारा, कारणों का लिखित रूप में उल्लेख करके तथा संघीय लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के बारे में इन नियमों के किन्हीं भी उपबन्धों में छूट दे सकती है ।

अनु-

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संस्था की

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती के लिये आयु	सीधी भर्ती के लिये शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति प्राप्त करने वालों के लिये लागू होंगी
1	2	3	4	5	6	7	8
अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संस्था की परिषद् में भारतीय प्रतिनिधि	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी I, राजपत्रित	1800–100/2–2000 रुपये (जब कोई उप महानिदेशक इस पद पर नियुक्त हो) । 1300–60–1600–100–1800रु० (जब कोई निदेशक इस पद पर नियुक्त हो)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सची

परिषद में भारतीय प्रतिनिधि के पद की भर्ती के नियम

परिवीक्षा काल, यदि कोई है	भर्ती का तरीका—पद सीधी नियुक्ति द्वारा भरा जाना है या पदोन्नति द्वारा या प्रति-नियुक्ति/बदली द्वारा, और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/बदली द्वारा भर्ती की स्थिति में वे ग्रेड जिन में से पदोन्नति/प्रति-नियुक्ति/बदली की जानी है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो इसके गठन का स्वरूप क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	**प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण** नागर विमानन विभाग के निम्नलिखित पद के अधिकारी : (i) उप महानिदेशक (ii) निदेशक (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं होता	जैसाकि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमों, 1958, के अनुसार अपेक्षित हो।

[सं० फा० 6/9/18-67]

सुरेन्द्र नाथ कौल,
अवर सचिव, भारत सरकार।

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(P. & T. Board)

New Delhi, the 11th August 1970

G.S.R. 1278.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President makes the following rules to amend the Indian Posts and Telegraphs (Clerks in Circle and Administrative offices) Recruitment Rules, 1970 namely:—

1. (1) These rules may be called the India Posts and Telegraphs (Clerks in Circle and Administrative Offices) Recruitment (Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In column 10 of Schedule II to the India Posts and Telegraphs (Clerks in Circle and Administrative Offices) Recruitment Rules, 1970:—

(1) In item (i) after the words "Lower Division Clerks who are permanent or quasi-permanent and have a minimum of five years continuous service" the words "as on the 1st July of the year of recruitment" shall be inserted.

(2) In item (ii) after the words "Time Scale clerks who are permanent or Quasi-permanent in the grade and have not less than five years continuous service", the words "as on 1st July of the year of recruitment" shall be inserted.

[No. 56/3/67-SPB I.]

R. RAJAGOPALAN,
Asstt. Director General (SPN.)

संचार विभाग

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 17 अगस्त 1970

जी० एस० आर० 1278.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारतीय डाक-तार (सकलों तथा प्रशासनिक कार्यालयों में लिपिक) भर्ती नियमावली 1970 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

(1) ये नियम भारतीय डाक-तार (सकल तथा प्रशासनिक कार्यालयों में लिपिक) भर्ती (संशोधन) नियमावली 1970 कहलाएँगे ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे । भारतीय डाक तार (सकलों तथा प्रशासनिक कार्यालयों में लिपिक) भर्ती नियमावली 1970 की अनुसूची II के कालम 10 में :

(1) मद (i) में "स्थायी या स्थायित्व अवर श्रेणी लिपिक जिनकी कम से कम पांच वर्ष की अनवरत सेवा हो गई हो वाक्यांश में "जिनकी" शब्द के बाद "भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को" शब्द जोड़ दिए जाएँ ।

(2) मद (ii) में "पद क्रम में स्थायी या स्थायित्व समयमान लिपिक जिनकी पांच वर्ष से कम की अनवरत सेवा न हो गई हो" वाक्यांश में "जिनकी शब्द के बाद "भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को" शब्द जोड़ दिए जाएँ ।

[क्रम संख्या 56/3/67—एस० पी० बी०—I.]

आर० राजगोपालन,
सहायक महानिदेशक (एस० पी० एन०) ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

(Department of Works, Housing and Urban Development)
(Works Division)

New Delhi, the 2nd July 1970

G.S.R. 1279.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Arbitrator in the Department of Works, Housing and Urban Development, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Works, Housing and Urban Development Arbitrator's Recruitment Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed thereto.

3. **Classification and Scale of Pay.**—The Classification of the post and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 3 and 4 of the said Schedule provided that when the post is held by an Additional Legal Adviser of the Central Legal Service, the incumbent shall have the scale of pay of Rs. 1600-100-2000 as personal to him.

4. **Method of Recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the U.P.S.C., relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Interpretation.**—If any question arises as to the meaning or application of these rules or any of them to any person, the matter shall be referred to the Central Government for its decision.

SCHEDULE

Recruitment rules for the post of Arbitrator, Deptt. of Works Housing and Urban Development

Name of post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made	If a D.P.C. exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Arbitrator	4	General Central Service Class I Gazetted	Rs. 1300 —60— 1600— 100—1800.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	By transfer on deputation or re-employment.	*Transfer on deputation* : (i) Officers of the status of Superintending Engineer/ Senior Architect from the Central or State Public works Department. (ii) Judicial Officers of the rank of District judge.	Not Applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

(iii) Additional or Deputy Legal Advisers of the Central Legal Service.

(Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).

Re-employment :

Retired Judicial officers of the rank of District Judge.

Period of re-employment not exceeding 3 years).

[No. 28016(15)/68-EW1.]

T. K. RAMASWAMI, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय

(निर्माण, आवास और नगर-विकास विभाग)

(निर्माण प्रभाग)

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1970

जी० एस० आर० 1279.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति निर्माण, आवास और नगर विकास विभाग में मध्यस्थ के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं; अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) ये नियम निर्माण, आवास और नगर-विकास विभाग मध्यस्थ की भर्ती नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **वर्गीकरण.**—वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 से लेकर 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं, परन्तु जब पद केन्द्रीय विधिक सेवा के किसी अपर विधिक सलाहकार द्वारा धारित हो तो पदधाकारी 1600–100–2000 रु० का वेतनमान अपने व्यक्तिगत वेतनमान के रूप में लेगा ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, और उनसे सम्बद्ध अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से लेकर 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति, (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया हैं, या (ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन, अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन ह, वहां वह उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाऐंगे, और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी ।

7. **निर्वाचन.**—यदि इन नियमों या इनमें से किसी के अर्थ या किसी व्यक्ति को इनके लागू होने के बारे में कोई प्रश्न उठेगा तो मामले को केन्द्रीय सरकार के पास उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जायगा।

अनु

मध्यस्थ पद के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताऐं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताऐं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी ।
1	2	3	4	5	6	7	8
मध्यस्थ	4	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग I राजपत्रित	1300—60—1600—100—1800	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सची

निर्माण, आवास और नगर-विकास विभाग

परिवीक्षा की कालावधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अंतरण द्वारा, तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण किया जाना है ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है ।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है ।
9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण या पुनर्नियोजन द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण (i) केन्द्रीय या राज्य लोक निर्माण विभाग से अधीक्षक इंजीनियर / ज्येष्ठ वास्तुक हैसियत वाले अधिकारी । (ii) जिला न्यायाधीश की रेंक के न्यायिक अधिकारी । (iii) केन्द्रीय विधिक सेवा से अपर या उप विधिक सलाहकार । (प्रतिनियुक्ति की कालावधि सामान्यतः 3 वर्ष से अनधिक होगी ।)	लागू नहीं होता	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 में अपेक्षित है ।

1	2	3	4	5	6	7

8	9	10	11	12	13
		पुनर्नियोजन : जिला न्यायाधीश की रैंक के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी। (पुनर्नियोजन की कालावधि सामान्यतः 3 वर्ष से अनधिक होगी।)			

[सं० 28016(15)/68-ई डब्ल्यू 1.]

टी० के० रामास्वामी, अवर सचिव।

(Department of Family Planning)

New Delhi, the 10th July **1970**

G.S.R. 1280.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article, 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Class I—Gazetted posts in the Central Health Transport Organisation under the Department of Family Planning, namely:—

1. **Short Title and Commencement.**—(i) These rules may be called the Central Health Transport Organisation (Class I—Gazetted posts) Recruitment Rules, 1970.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Applicaion.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, Classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications, and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule:

Provided that the upper age limit specified for direct recruitment may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government.

5. **Disqualifications.**—No person (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to service:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHE

Name of post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-Selection post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
			Rs.			
(*i*) Asstt. Director (Training)	One	General Central Services (Class I Gazetted)	700—40—1100—50/2—1250.	Selection	45 Years and below (Relaxable for Government servants)	*Essential* : (A) (*i*) A degree in Mechanical Engineering of a recognised University or equivalent. (*ii*) About 5 Years' experience in the field of Industrial Engineerin *Or* (B) (*i*) A degree from a recognised University or equivalent. (*ii*) About 15 Years' experience in a well organised automobile engineering concern with pronounced background in the fields of training, maintenance and fleet management. (Qualification relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified).
(*ii*) Assistant Training Officer.	Two	Do.	400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950.	Not applicable.	35 years and below (Relaxable for Government servants)	*Essential* : (*i*) Degree or Diploma Mechanical or Automobile Engineering of a recognised University or Institute or equivalent. (ii) (For degree holders two years' and for Diploma holders five years' experience of maintenance of Transport fleet or training of employees in Fleet maintenance with

DULE

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promottees	Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
No.	2 years	By promotion failing which by direct recruitment.	*Promotion* : Assistant Training Officer with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Class I D.P.C.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation Regulations, 1958).
Not Applicable	Do.	By direct recruitment	Not Applicable	Not Applicable.	Do.

1	2	3	4	5	6	7
						experience of preparation of project report for Development maintenance organisation. (Qualification relaxable at Commission's discretion in case of candidate otherwise well qualified.)

8	9	10	11	12	13

[No. F. 40-50/69-Estt. II.]
R. P. MARWAHA, Under Secy.

(परिवार नियोजन विभाग)

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1970

जी० एस० आर 1280.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद् द्वारा परिवार नियोजन विभाग के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवहन संगठन में श्रेणी –1 के कुछ राजपत्रित पदों पर भर्ती की विधि का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं , नामत :

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ** .—(1) इन नियमों को केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवहन संगठन (श्रेणी – 1 राजपत्रित पद) भर्ती नियम 1970 कहा जाए ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. **उपयोजन** :—ये नियम संलग्न अनूसूची के कालम 1 में निर्दिष्ट पदों की भर्ती के लिये लागू होंगे ।

3. **संख्या वर्गीकरण और वेतनमान** .—इन पदों की संख्या , उनका वर्गीकरण और वेतन-मान वही होंगे जैसा कि संलगन अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है ।

4. **भर्ती की विधि आयु सीमा और अर्हताएं आदि** :—भर्ती की विधि, आयु सीमा अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बा वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में दी गई हैं ।

5. **अनर्हताएं** .–वह व्यक्ति सेवा में नियुक्त का पात्र न होगा :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या पत्नी जीवित है अथवा

(ख) जिसने पति / पत्नि के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह इस प्रकार के व्यक्ति तथा शादी वाल दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत अनुज्ञय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

6. **छूट देने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा इष्टानुकल है, वहां वह कारणों को लिखित रुप में रिकार्ड करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के मामले में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध से आदेश जारी कर छूट दे सकती है ।

अन-

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	पद सलैक्शन है अथवा नान-सलैक्शन	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा (श्रेणी-1 राजपत्रित)	700-40-1100-50/1250	सलैक्शन	45 वर्ष और उससे कम (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट)	(क) (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से यांत्रिक इंजीनियरी में उपाधि या समकक्ष। (2) औद्योगिक इंजीनियरी में लगभग 5 वर्ष का अनुभव अथवा (ख) (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय की उपाधि या समकक्ष। (2) किसी सुसंगठित आटोमोबाइल इंजीनियरी प्रतिष्ठान में

सूची

क्या पदोन्नति से रखे जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में प्रत्यक्ष भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति या प्रतिनियुक्त या स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है।	परिस्थितियां जिनमें में भर्ती के लिये संघीय लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है।
8	9	10	11	12	13
नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति के द्वारा यदि पदोन्नति के द्वारा न हो तो सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति साहायक प्रशिक्षण अधिकारी जिसने नियुक्ति के बाद नियमित रूप से उक्त ग्रेड में 5 वर्ष तक कार्य किया हो।	भाग 1 विभागीय पदोन्नति समिति	जैसा संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1968 के अधीन अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7
						लगभग 15 वर्ष का अनुभव तथा प्रशिक्षण, अनुरक्षण और बेड़ा प्रबन्ध के क्षेत्रों की ठोस आधार भूत जानकारी (उम्मीदवार के अन्यथा सुप्रशिक्षित होने पर आयोग अपने विवेक से अर्हताओं में ढील दे सकता है)।
2 सहायक प्रशिक्षण अधिकारी	दो	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 1 राजपत्रित	400—400—30—600—35—670—द०रो०—35—950	लागू नहीं होता	35 वर्ष और उससे कम (सरकारी कर्मचारियों के लिये छूट)	अनिवार्य : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक या आटोमोबाइल इंजीनियरी में उपाधि या डिप्लोमा या समकक्ष। (2) उपाधि धारकों के लिए 2 वर्ष का और डिप्लोमा धारकों के लिय 5 वर्ष का परिवहन बड़े के अनुरक्षण या बड़े के अनुरक्षण में कर्मचारियों के प्रशिक्षण का अनुभव तथा विकास अनुरक्षण संगठन की परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का अनुभव। (उम्मीदवार के अन्यथा सुप्रशिक्षित होन पर आयोग अपने विवेक से अर्हताओं में ढील दे सकता है)।

8	9	10	11	12	13
2. लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नही होता	लागू नहीं होता	तदैव

[सं० 40-50/69-स्थापना 2]

आर० पी० मरवाह, अवर सचिव ।

(Department of Health)

New Delhi, the 18th August 1970

G.S.R. 1281.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of professor of Biochemistry and Nutrition, All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta (Professor of Biochemistry and Nutrition—Class I Post) Recruitment Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age limit prescribed may be relaxed in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government.

5. **Disqualification.**—No person,—(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or (b) who, having a spouse living, has entered, into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to service:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHE

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Professor of Biochemistry and Nutrition.	One	General Central Service Class I Gazetted.	Rs. 1300—60—1600	Not applicable.	50 years and below (Relaxable for Government servants.)	*Essential*: (i) A Medical qualification included in the First or the Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications to the Indian Medical Council Act 1956, Holders of qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in Section 13(3) of the said Act, and M.Sc. degree in Biochemistry or Nutrition or Physiology from a recognised University or equivalent. *Or* Doctorate degree in Biochemistry or Organic Chemistry/ Physiology or Nutrition from a recognised University or equivalent. (ii) About 12 years' research or teaching experience including at least 6 years' teaching experience as Reader or Associate Professor or Assistant Professor in a Medica

DULE

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/ deputation/ transfer/grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By direct recruitment.	Not applicable	Not applicble	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

2	3	4	5	6	7
					College or teaching institution in the field of Biochemistry of Nutrition. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified.)

8	9	10	11	12	13

[No. F: 27-38/69-PH:]

K. SATYANARAYANA, Under Secy.

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1970

जी० एस० आर० 1281.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा अखिल भारतीय स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता, में जीव रसायन और पोषाहार के प्रोफेसर पद के लिए भर्ती की विधि को नियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.**—(1) ये नियम अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता जीव-रसायन और पोषाहार का प्रोफेसर क्लास–1 पद भर्ती नियमावली, 1970 कहलाए जा सकेंगे ।

(2) ये सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि को लागू होंगे ।

2. **उपयोजना.**—ये नियम इससे अनुलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान वे ही होंगे जो कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से लेकर 4 तक विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भरती की विधि, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पदों पर भर्ती की विधि आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बद्ध अन्य बातें वे ही होंगी जो कि पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से लेकर 13 तक विनिर्दिष्ट हैं ।

परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और उच्चतम आयु सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकेंगी ।

5. **अनर्हताएं.**—

(क) कोई व्यक्ति जो कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करता है या विवाह की संविदा करता है जिसका कि एक पति / जिसकी की एक पत्नी जीवित हो, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, अथवा

(ख) कोई व्यक्ति जो एक पति / पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार को लागू होने वाली स्वीय-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

अनु

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	पद सलैक्शन अथवा नान सलैक्शन	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
जीव रसायन और पोषा-हार का प्रोफेसर	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा क्लास I राज राजपत्रित	1300—60—1600 रु०	लागू नहीं होता।	50 वर्ष और उससे कम (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट)	**अनिवार्य** (i) भारती चिकित्सा परिषद अधिनियम 156 में पहली और दूसरी अनुसूची के भाग II (लाइसेन्सिएट अर्हताओं के अतिरिक्त) में समाविष्ट कोई चिकित्सा अर्हता। तीसरी अनुसूची के भाग II में समाविष्ट अर्हताओं वालों को उक्त अधिनियम की धारा 13 (3) में अनुबंधित शर्तें भी पूरी करनी होंगी और जीव-रसायन। पोषाहार शरीर क्रियाविज्ञान में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम० एस० सी० अथवा समकक्ष उपाधि अथवा जीव रसायन या जैव-

सूची

क्या पदोन्नति से रखे जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में प्रत्यक्ष भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाना	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती से	लागू नही होता	लागू नहीं होता	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958 के अधीन अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7
						रसायन या शरीर रचना विज्ञान या पोषाहार में किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय की डाक्ट्रेरेट उपाधि अथवा समकक्ष (ii) किसी मैडीकल कालेज में रीडर या सह-प्रोफेसर । सहायक प्रोफेसर के रूप में अथवा किसी शिक्षण संस्था में जीव रसायन या पोषाहार के क्षेत्र में कम से कम 6 वर्ष के अध्यापन अनुभव समेत लगभग 12 वर्ष का अनुसंधान या अध्यापन अनुभव । (उम्मीदवार के अन्यथा सुप्रशिक्षित होने पर आयोग अपने विवेक से अर्हताओं में ढील दे सकेगा)

8	9	10	11	12	13

[सं० म० 27-38/69-जन स्वा०]

के० सत्यनारायण, अवर सचिव ।

(Department of Health)

New Delhi, the 22nd August 1970

G.S.R. 1282.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Safdarjang Hospital and the Willingdon Hospital and Nursing Home (Non-Medical Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1965, namely:—

1. (1) These rules may be called 'The Safdarjang Hospital and Willingdon Hospital and Nursing Home (Non-Medical Gazetted Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Safdarjang Hospital and the Willingdon Hospital and Nursing Home (Non-Medical Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1965, against item "8 relating to the post of Junior Scientific Officer (Neuro Physiology)", for the entry in Column 6, the following shall be substituted, namely:—

"*Essential*:

(i) B.Sc. or B.A. with Mathematics as one of the subjects, from a recognised University, or equivalent.

(ii) Familiarity with Electroencephalography, Electromygraphy and nerve condition equipment.

(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified).

Desirable.—Experience in Electronics."

[No. F.2-1/68-H.]

P. C. ARORA, Under Secy.

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 22 अगस्त 1970

जी० एस० आर० 1282.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, सफदरजंग अस्पताल और विलिंगडन अस्पताल एवं नर्सिंग होम (चिकित्सेत्तर राजपत्रित पद) भर्ती नियमावली, 1965 को और आगे संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं; नामतः—

1. (1) ये नियम सफदरजंग अस्पताल और विलिंगडन अस्पताल एवं नर्सिंग होम (चिकित्सेत्तर राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1970 कहलाये जा सकेंगे।

(2) ये सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि को लागू होंगे।

2. सफदरजंग अस्पताल और विलिंगडन अस्पताल एवं नर्सिंग होम (चिकित्सेत्तर राजपत्रित पद) भर्ती नियमावली, 1965 की अनुसूची में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (न्यूरो फिजियोलाजी) सम्बन्धी मद 8 के सामने कालम 6 में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, नामतः—

"**अनिवार्य**

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित विषय लेकर बी० एस०सी० या बी० ए० अथवा समकक्ष।

(ii) इलैक्ट्रोएन्सेफैलोग्राफी, इलैक्ट्रोमायोग्राफी और नर्व कन्डक्शन उपस्कर की जानकारी।

(अन्यथा सुशिक्षित उम्मीदवार के मामले में आयोग के विवेकानुसार अर्हताएं शिथिल की जा सकेंगी) ।

वांछनीय

इलैक्ट्रानिक्स में अनुभव ।

[सं० प० 2-1/68-हस्पताल]

पी० सी० अरोड़ा, अवर सचिव ।

(Department of Health)

New Delhi, the 26th August 1970

G.S.R. 1283.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Class III posts in the Ministry of Health, Family Planning, Works Housing and Urban Development (Department of Health and Family Planning and the Directorate General of Health Services) namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Departments of Health, Family Planning and the Directorate General of Health Services, Class III posts Recruitment Rules, 1970.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to them shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule:

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the general orders of the Central Government issued from time to time.

5. **Disqualification.**—No person:—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to service:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. *Power to relax.*—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or rovisions of these rules with expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the respect to any class or category of persons.

7. *Repeal and Saving.*—The Directorate General of Health Services (Draftsmen, Ferro Printers and Tracers) Recruitment Rules, 1958 and the Directorate General of Health Services (Senior Draftsman, Central Health Education Bureau) Recruitment Rules, 1960 are hereby repealed:

Provided that anything done or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-Selection post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
			Rs.			
(1) Senior Draftsman (Selection Grade)	6	General Central Services Class III Non-Gazetted Non-Ministerial	335—15—425.	Non-Selection	Not applicable.	Not applicable.
(2) Senior Draftsman (Ordinary Grade)	33 (including one post in the Department of Health)	General Central Service Class III Non-Gazetted Non-Ministerial.	205—7—240—8—280.	Selection	Minimum age 18 years Maximum age 28 years.	*Essential.* Intermediate in Architecture (Recognised Course) or equivalent.
(3) Junior Draftsman	7 (including two posts of Junior Draftsmen Ferro-printing) one post of Junior Draftsman in the Department of Health and one post in the Department of Family Planning.	General Central Service Class III Non-Gazetted Non-Ministerial	150—5—175—6—205—EB—7—240	Non-Selection when filled by promotion	Minimum age 18 years Maximum age 28 years.	1. Matriculation or equivalent from a recognised University or Board. 2. Diploma in Draftmanship (Civil) from a recognised institute.

DULE

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	..	100% by promotion	Senior Draftsman (Ordinary Grade) who have rendered 5 years of service after appointment thereto on a regular basis.	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable.
No.	Two years	75% by direct recruitment 25% by promotion, failing which by transfer.	*Promotion:* From Junior Draftsman who have rendered 3 years service after appointment there to on a regular basis. *Transfer:* Persons working in similar or equivalent grades from other Central or State Government Offices andholding Diploma in Draftsmanship (Civil)	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable.
Age—No. *Educational* Qualifications—Yes	Two years	50% by direct recruitment and 50% by promotion	*Promotion:* Ferro-printers and tracers who have rendered 3 years service after appointment thereto on a regular basis and possessing the qualifications as prescribed in column 7.	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
(4) Tracer	2 (including one post in the Department of Health)	General Central Service Class III Non-Gazetted Non-Ministerial	110—4—150 —EB—4—170—5—180 —EB—5—200.	Not applicable	Minimum age 18 years Maximum age 28 years.	*Essential*: 1. Matriculation or equivalent from a University or Board. 2. Three years experience as Tracer in the office of a recognised Architect or an Engineer.
(5) Ferro-Printer	5 (including one post in the Department of Health)	General Central Service Class III Non-Gazetted Non-Ministerial	110—3—131	Not applicable	Minimum age 18 years Maximum age 28 years.	*Essential*: 1. Matriculation or equivalent from a recognised University or Board. 2. Experience in in Ferro and Azo Printing. 3. About two years experience of reading and understanding the details of drawings. 4. Experience in maintaining records of drawings.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years	100% by direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
Not applicable	Two years	100% by direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable.

[No. F. 38 (i)-3/63-Estt. (P).]

S. SRINIVASAN, Under Secy.

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1970

सा० का० नि० 1283.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग और परिवार नियोजन विभाग एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय) में कतिपय वर्ग III पदों की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, नामतः :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ** .—(1) ये नियम स्वास्थ्य विभाग, परिवार नियोजन और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय वर्ग III पद भर्ती नियमावली, 1970 कहलाए जा सकेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** .—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति और अन्य अर्हताएं** :—उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबद्ध अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से लेकर 13 तक विनिर्दिष्ट हैं ।

परन्तु किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति या अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों की अवस्था में सीधी भर्ती के लिए उच्चतम आयु सीमा समय-समय पर निकाले गए केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकेगी ।

5. **अनर्हता.**—(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करता है या विवाह की संविदा करता है जिसका कि एक पति/ जिसकी कि एक पत्नी जीवित हो, सेवा मे नियुक्ति का पात्र नहीं होता ; अथवा

(ख) कोई व्यक्ति जो कि पति / पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता है/ करती है अथवा विवाह की संविदा करता है / करती है, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

6. **नियम शिथिल करने की शक्ति** .—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जायेंगे, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी ।

7. **निरसन और बचाव** .—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (नक्शानवीस, फैरोप्रिंटर्स और अनुरेखक) भर्ती नियमावली 1958 एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (वरिष्ठ नक्शानवीस, केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो) भर्ती नियमावली, 1960 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

परन्तु इस भांति निरसित उक्त नियमों के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गई कार्यवाही इन नियमों के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया या की गई मानी जायेगी।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	पद सलेक्शन है अथवा नानसलेक्शन	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. वरिष्ठ नक्शा-नवीस (प्रवरण ग्रेड)	6	समान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग III अराजपत्रित अननुसचिवीय	335–15–425 रू०	अप्रवरण	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2. वरिष्ठ नक्शा-नवीस (सामान्य ग्रेड)	33	तदैव (स्वास्थ्य विभाग के एक पद के समेत)	205–7–240–8–280 रु०	प्रवरण	न्यूनतम आयु 18 वर्ष अधिकतम आयु 28 वर्ष	अनिवार्य : वास्तुकला में इन्टरमीडिएट (मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम) समकक्ष ।

क्या पदोन्नति से रखे जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में प्रत्यक्ष भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो ।	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है ।	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघीय लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है ।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	—	100 प्रतिशत पदोन्नति से ।	वरिष्ठ नक्शानवीस (सामान्य ग्रेड) जिन्होंने कि नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की सेवा कर ली हो ।	वर्ग III विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नहीं होता
नहीं	दो वर्ष	75 प्रतिशत सीधी भर्ती से, 25 प्रति० पदोन्नति से जिसके न होने पर स्थानान्तरण	**पदोन्नति :** उन कनिष्ठ नक्शानवीसों में से जिन्होंने कि नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की सेवा कर ली हो । **स्थानान्तरण :** अन्य केन्द्रीय या राज्य सरकारी कार्यालयों में वैसे ही या समकक्ष ग्रेडों में कार्य कर रहे और ड्राफ्ट्समैनशिप (सिविल) में डिप्लोमा रखने वाले व्यक्ति	वर्ग 3 विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
3.	कनिष्ठ नक्शा-नवीस	इनमें 2 पद कनिष्ठ तदैव नक्शानवीस (फैरो प्रिंटिंग) स्वास्थ्य विभाग में कनिष्ठ नक्शा-नवीस का एक पद और परिवार नियोजन विभाग में कनिष्ठ नक्शा-नवीस का एक पद सम्मिलित है ।	150–5–175–6–205–कु० रो० 7–240	अप्रवरण जबकि पदोन्नति द्वारा भरी जाय ।	न्यूनतम आयु 18 वर्ष अधिकतम आयु 28 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय या बोर्ड से मैट्रीकुलेशन अथवा समकक्ष । 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ड्राफ्ट्स मैन-शिप (सिविल) में डिप्लोमा ।
4	अनुरेखक	2 स्वास्थ्य विभाग के एक पद को सम्मिलित करते हुए । सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग III अराजपत्रित अननुसचिवीय	110–4–150–कु० रो०–4–170–5–180–5–200	लागू नहीं होता	न्यूनतम आयु 18 वर्ष अधिकतम आयु 28 वर्ष	अनिवार्य : 1. किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड से मेट्रीकुलेशन या समकक्ष 2. किसी मान्यता-प्राप्त वास्तुकार या किसी इंजीनियर के कार्यालय में अनुरेखक के रूप में कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव ।
5	फैरोप्रिंटर	5 (स्वास्थ्य विभाग के एक पद को सम्मिलित करते हुए) सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग III अराज-पत्रित अननुसचि-वीय	110–3–131	लागू नहीं होता	न्यूनतम आयु 18 वर्ष अधिकतम आयु 28 वर्ष	अनिवार्य : 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मेट्रीकुलेशन या समकक्ष 2. फैरो और ऐजो प्रिंटिंग का अनुभव । 3. ड्राइंग के ब्यौरों को पढ़ने और समझने का दो वर्ष का अनुभव 4. ड्राइंगों के रख रखाव का अनुभव ।

8	9	10	11	12	13
आयु-नहीं शैक्षिक अर्हताएं-हां ।	दो वर्ष	50 प्रतिशत सीधी भर्ती और 50 प्रतिशत पदोन्नति से ।	**पदोन्नति** : फैरो प्रिंटर और अनुरेखक जिन्होंने कि नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की सेवा कर ली हो और जिनके पास स्तम्भ 7 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हों ।	वर्ग III विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती से	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती से ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।

[सं० प० 38 (i)-3/63-स्थापना (नीति).]

एस० श्रीनिवासन, अवर सचिव ।

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 16th April 1970

G.S.R. 1284.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Regional Poultry Farms, (Class III and Class IV, Non-Gazetted posts) Recruitment Rules, 1965, namely:—

(1) These rules may be called the Regional Poultry Farms, (Class III and Class IV, Non-Gazetted posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Regional Poultry Farms, (Class III and Class IV, Non-Gazetted posts) Recruitment Rules, 1965, against Serial No. 1 relating to the post of Farm Supervisor, under Column 8, item (ii) shall be ommitted.

[No. A-47011/1/70-EE.III.]

P. K. MUKHERJI, Under Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1970

सा० का० नि० 1284.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति प्रादेशिक कुक्कुट फार्म (वर्ग 3 और वर्ग 4 अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1965 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम प्रादेशिक कुक्कुट फार्म (वर्ग 3 और वर्ग 4 अराजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रादेशिक कुक्कुट फार्म (वर्ग 3 और वर्ग 4 अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1965 की अनुसूची में फार्म पर्यवेक्षक के पद से संबंधित क्रम सं० 1 के सामने स्तम्भ 8 के अन्तर्गत मद (ii) लुप्त कर दी जाएगी।

[सं० ए–47011/1/70–ईई III]

पी० के० मुखर्जी, अवर सचिव।

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 30th July 1970

G.S.R. 1285.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Soil Conservation Officer (Sedimentation), in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture), namely:

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Agriculture—Assistant Soil Conservation Officer (Sedimentation) Recruitment Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule hereto annexed.

3. **Number of the post, its classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the schedule aforesaid:

Povided that the upper age limit prescribed for direct recruits may be relaxed in the case of candidates belonging to Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government.

5. **Disqualifications.**—(1) No person, who has more than one wife living or who having a spouse living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life-time of such spouse, shall be eligible for appointment to the said post.

(2) No woman, whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that there are special grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
Asstt. Soil Conservation Officer (Sedimentation)	One	General Central Service Class I Gazetted	Rs. 400—40—800—50—950

Whether Selection or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct rectts. will apply in case of promotees.
5	6	7	8
Not Applicable	35 years and below (relaxable for Government Servants)	*Essential:* (i) A degree in agricultural Engineering of a recognised University or equivalent. (ii) About 3 years' experience in the field of soil and water conservation engineering with particular reference to Sedimentation. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in the case of candidates otherwise well qualified). *Desirable* Experience of working in the River Valley Project Catchment or Ravine areas.	Not Applicable

Period of probation if any.	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/ transfer to be made	If a D.P.C. exitsts, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitments
9	10	11	12	13
Two years	Direct recruitment.	Not applicable	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from consultation) Regulations, 1958.

[No. F. 11-13/69-Estt. V.]

S. G. SUNDARAM, Under Secy.

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1970

जी० एस० आर० 1285.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) में सहायक मृदा संरक्षण अधिकारी (अवसादन) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और आरम्भ.**—(1) ये नियम कृषि विभाग—सहायक मृदा संरक्षण अधिकारी (अवसादन) भर्ती नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3. **पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतनमान ये होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बद्ध अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ;

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष व्यक्ति प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में, सीधी भर्ती वालों के लिए विहित उच्चतम आयु सीमा समय-समय पर निकाले गए केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकेंगी।

5. निरर्हताएं.—(1) वह व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं या जो एक पत्नी जीवित रहते हुए किसी ऐसी विशा में विवाह करता है जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसी पत्नी के जीवन काल में होता है।

(2) वह स्त्री उक्त पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होगी जिसका विवाह इस कारण शून्य है कि उस विवाह के समय उस के पति की पत्नी जीवित थी या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी उस विवाह के समय जीवित थी।

परन्तु केन्द्रीय सरकार का यदि समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
सहायक मृदा संरक्षण अधिकारी (अवसादन)	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 राजपत्रित	400–40–800–50–950 रु०

प्रवरण पद या अप्रवरण पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए और अन्य अर्हताएं	अपेक्षित शैक्षिक
5	6	7	
लागू नहीं होता	35 वर्ष और उससे कम (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)	**आवश्यक** :— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य (ii) अवसादन को विशेष रूप से लेते हुए मृदा और जल संरक्षण इंजीनियरिंग में लगभग 3 वर्ष का अनुभव (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताएं आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं) **वांछनीय** :— नदी घाटी योजना वाह या कन्दरामय क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव।	

क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की कालावधि, यदि कोई हो।	भर्ती/पद्धति, क्या भर्ती सीधी होगी, या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा, और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
8	9	10
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) वि नियम 1958 के अधीन अपेक्षित है।

[संख्या 11-13/69-ई० 5]

एस० जी० सुन्दरम, अवर सचिव,

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 16th July 1970

G.S.R. 1286.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Regional Poultry Farms (Class I—non-Ministerial post) Recruitment Rules, 1964, namely:—

1. These rules may be called the Regional Poultry Farm (Class I-non-Ministerial post) Recruitment (Amendment) Rules, 1970.

2. They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

3. In the Schedule to the Regional Poultry Farms (Class I-non-Ministerial post) Recruitment Rules, 1964 after the entries relating to the post of 'Geneticist' the following entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7
			Rs.			
Superintendent Random Sample Egg Laying Test Unit.	1	General Central Service Class I Gazetted.	700—40—1100—50/2—1250.	Selection	40 years and below (Relaxable for Govt. servants)	*Essential* (1) Degree in Veterinary Science or Agriculture with Animal Husbandry as one of the subjects of a recognised University/Institution or equivalent. (2) Post-graduate training in Polultry Husbandry. (3) About 7 years experience in running a large Poultry Farm or research in any aspect of Poultry Development (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). *Desirable* Research experience of Poultry problems.

8	9	10	11	12	13
Age: No Qualifications: Yes.	2 years.	By promotion failing which by direct recruitment.	*Promotion* Officer-in-Charge Regional Poultry Farms with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Class I Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. 4-10/69-EE.II.]
R. N. GUPTA, Under Secy.

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1970

सा० का० नि० 1286.—संविधान के अनच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रादेशिक कुक्कुट फार्म (वर्ग 1 अननुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 1964 में आगे संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम प्रादेशिक कुक्कुट फार्म (वर्ग 1—अननुसचिवीय पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1970 कहे जा सकेंगे ।

2. ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. प्रादेशिक कुक्कुट फार्म (वर्ग 1 अननुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 1964 की अनुसूची में, विशेषज्ञ आनुवंशिकी विज्ञ के पद संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

अधीक्षक यादृच्छिक नमूना अंडा देना परीक्षण यूनिट	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 राजपत्रित	700–40– प्रवरण 1100–50/ 2–1250 रु.	40 वर्ष और उससे कम (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय)	आवश्यक : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान या उसके समतुल्य की पशु चिकित्सा विज्ञान या एक विषय के रूप में पशुपालन के साथ कृषि की डिग्री । 2. कुक्कुट पालन में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण 3. बृहद् कुक्कुट फार्म चलाने या कुक्कुट विकास के किसी पहलू के अनुसंधान में लगभग 7 वर्ष का अनुभव । (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय अर्हताएं) । वांछनीय : कुक्कुट पालन समस्याओं का अनुसंधान अनुभव ।

आयु : नहीं अर्हताएं : हां ।	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष के अनुभव सहित प्रवेशिक कुक्कुट पालन भार । साधक आफिसर ।	वर्ग 1 विभागीय प्रोन्नति समिति	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अधीन यथापेक्षित

[सं० 4-10/69-ईई-2]
एल०पी० सुब्रमण्यम, अवर सचिव

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 22nd August 1970

G.S.R. 1287.—*In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Chemist, Exploratory Tubewells Organisation, Faridabad, in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, (Department of Agriculture) namely:—*

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Exploratory Tubewells Organisation (Assistant Chemist) Recruitment Rules, 1970.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule hereto annexed.

3. **Number of the post, its classification and scale of pay.**—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruits may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government.

5. **Disqualification.**—(i) No person who has more than one wife living or who having a spouse living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life-time of such spouse, shall be eligible for appointment to the said post.

(ii) No woman whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage, or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that there are special grounds for so ordering, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHE

Recruitment Rules for the post of Assistant Chemist

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection Post or non-Selection Post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Chemist	One	General Central Service Class-II (Gazetted) Non-Ministerial	Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-830-35-900.	Selection	30 Years and below (Relaxable for Government servants.	*Essential* : (*i*) M. Sc. degree in Chemistry of a recognised University or equivalent. (*ii*) About 3 years experience of analytical work in a chemical laboratory preferably in water analysis and ground-water chemistry (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qulified).

DULE

under UNDP (SF) Project, Department of Agriculture

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
Age : No Qualifications: Should possess at least B.Sc. degree with Chemistry as a subject.	2 Years	By Promotion failing which by direct recruitment	*Promotion* : Senior Technical Assistant (Chemical)/Senior Analyst with 5 years service in the grades rendered after appointment thereto on a regular basis.	Class II Departmental Promotion Committee	As required under the Union Public Service Commission (Exemption) from Consultation) Regulations. 1958.

[No. F. 30-57/69-EE. I.]

R. N. GUPTA, Under Secy.

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1970

सा०का०नि० 1287.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्तशक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) में सहायक रसायनज्ञ, अन्वेषणात्मक संगठन, फरीदाबाद के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतत्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) ये नियम अन्वेषणात्मक नलकूप संगठन (सहायक रसायनज्ञ) भर्ती नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लाग होंगे ।

3. पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में से लेकर 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पर पद भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बद्ध अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से लेकर 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष व्यक्ति-प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में, सीधी भर्ती वालों के लिए विहित उच्चतम आयु सीमा समय समय पर निकाले गए केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार, शिथिल की जा सकेगी ।

5. निरर्हता.—

(i) वह व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं या जो एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करता है जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसी पत्नी के जीवन काल में होता है ।

(ii) वह स्त्री उक्त पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होगी जिसकी विवाह इस कारण शून्य है कि उस विवाह के समय उसके पति की पत्नी जीवित थी या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी उस विवाह के समय जीवित थी ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट देने योग्य विशेष आधार हैं, आदेश दे सकेगी कि उसे छूट दी जाए ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी ।

"अनुसूची"

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में यू० एन० डी० पी० भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु	सीधी भर्ती वालो के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक रसायनज्ञ	एक	समधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग–2 (राजपत्रित) अनन्य सचिवीय	350–25–500–30–590–द०रो० 30–800–द०रो० 30–830–35–900	प्रवरण	30 वर्ष और उससे कम (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है।)	आवश्यक (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की रसायन में एम० एस सी० डिग्री या समतुल्य (ii) रसायनिक प्रयोगशाला में विश्लेषणात्मक कार्य अधिमान्यतः जल विश्लेषण और भोम जल रसायन में लगभग 3 वर्ष का अनुभव, (अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताएं आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी)।

(एम० एफ०) प्रायोजना, कृषि विभाग के अधीन सहायक रसायनज्ञ के पद के लिए

क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की कालावधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्त अन्तरण द्वारा, तथा विभिन्न पद्धतियां द्वारा भरी जाने वाली रिक्तयों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
8	9	10	11	12	13
आयु अर्हताएं नहीं रसायन विषय के साथ कम से कम बी एस० सी की डिग्री होनी चाहिए	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर [illegible] धी भर्ती [illegible]	प्रोन्नति ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (माय ज्येष्ठ विश्लेषक जिनकी उस श्रेणीमें नियमित आधारपर नियुक्ति के पश्चात् की गई 5 वर्ष की सेवा हो ।	वर्ग 2 विभागीय प्रोन्नति समिति।	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 958 में अपेक्षित है ।

[सं० फ० 30-5769 ई० ई०]

आर० एन० गुप्ता, अवर सचिव ।

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 25th August 1970

G.S.R. 1288.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Preinvestment Survey of Forest Resources (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1967, namely:—

1. (1) These rules may be called the Preinvestment Survey of Forest Resources (Class III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Preinvestment Survey of Forest Resources (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1967:—

(a) for Serial No. 1 and the entries relating thereto, the following Serial No. shall be substituted namely:—

1. Forest Ranger.	47	General Central Service Class III Non-Ministerial Non-Gazetted	Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425	Selection post	Below 24 years	Certificate in Forest Rangers Course from any recognised Institute.	No.	2 Years	80% by deputation/transfer failing which by direct recruitment 20% by promotion	*Promotion*: Deputy Rangers with a minimum of 5 years service in the grade. *Transfer/Deputation*: Of a suitable trained Forest Ranger in a similar or equivalent grade of a State Forest Department/Central Govt. Department. (Period of deputation—4 years)	D.P.C. Class III

(b) after Serial No. 7 and the entries relating thereto, the following Serial Nos. shall be inserted, namely :—

7A Junior Accountant	One	General Central Service Class III Non-Gazetted Ministerial	Rs. 180-10-290-EB-15-380-EB-15-440	Selection	Not applicable	Not applicable
Not applicable	2 years	100% by promotion failing which by transfer/deputation	*Promotion*: Upper Division Clerks with a minimum of 10 years service having experience in accounts work etc. *Transfer/Deputation*: Of persons having at least 10 years service in similar or equivalent posts in any Accounts Department under the administrative control of Comptroller & Auditor General of India. (Period of deputation not exceeding 3 years).			D.P.C. Class III
7B. Photo-Librarian	One	General Central Service Class III Ministrerial Non-Gazetted	Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425	Selection	Not applicable	Not applicable
Not applicable	2 years	100% by promotion failing which by tranfer/deputation	*Promotion*: Upper Division Clerks with a minimum of 10 years service having experience in indexing and cataloguing of maps and aerial photographs. *Transfer/Deputation.*: Of suitable persons having a minimum of 10 years service in the similar or equivalent grade under the Central Government Department possessing experience in indexing and catalouging of maps and aerial photographs (Period of deputation not exceeding 3 years).			D.P.C. Class III

(c) after Serial No. 16 and the entries relating thereto, the following Serial Nos. shall be added namely :—

17.	Chowkidar	Five	General Central Service Class IV Non-Gazetted	Rs. 70-1-80-EB-1-85	Not applicable	18-25 years	Good Physique and literate will be preferred
18.	Sweeper	One	Do.	Do.	Do.	Do.	Nil

Not applicable	2 years	100% by direct recruitment	Not applicable	Not applicable
Do.	Do.	Do.	Do.	Do.

[No. 13-4/68-F. II]

S. N. TULSIANI, Under Secy.

(Department of Food)

New Delhi, the 22nd August 1970

G.S.R. 1289.—In pursuance of section 7 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), read with clause (iv) of rule 3 of the Central Warehousing Corporation Rules, 1963, the Central Government hereby nominates Shri A. Das, Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Cooperation) as a director of the Central Warehousing Corporation established under the said Act in place of Shri M. Subramanyam, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) No. G.S.R. 465, dated the 16th March, 1963, namely:—

In the said notification, for item (4) and the entry relating thereto, the following item and entry shall be substituted, namely:—

"(4) Shri A. Das, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Cooperation)."

[No. F. 26-3/66-SG.II.]

RATI RAM, Under Secy

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1970

सा० का० नि० 1289.—भण्डागार निगम अधिनियम 1962 (1962 का 58) की धारा 7 के साथ पठित केन्द्रीय भाण्डागार निगम नियम 1963 के नियम 3 खण्ड (4) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (सहकारिता विभाग) के श्री ए० दास, संयुक्त सचिव, भारत सरकार का श्री एम० सुब्रमण्यम के स्थान पर उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित केन्द्रीय भाण्डागार निगम के निदेशक के रूप में एतद्द्वारा नाम निर्देशित करती है और भारत सरकार खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 465 दिनांक 16 मार्च 1963 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना की मद (4) और उससे सम्बधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात:—

(4) श्री ए० दास, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (सहकारिता विभाग) ।

[सं० एफ० 26-3/65-एस० जी० II]

रति राम, अवर सचिव ।

(Department of Food)

ORDERS

New Delhi, the 27th August 1970

G.S.R. 1290.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Madhya Pradesh Rice (Movement Control) Order, 1957, namely:—

1. This Order may be called the Madhya Pradesh Rice (Movement Control) Amendment Order, 1970.

2. In clause 2 of the Madhya Pradesh Rice (Movement Control) Order, 1957, (hereinafter referred to as the said Order).

(i) before sub-clause (a), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(a) "border area" means the area within the eight kilometre belt all along the border of the State of Madhya Pradesh adjoining the States of Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Orissa, Andhra Pradesh, Maharashtra and Gujarat";

(ii) sub-clause (a) shall be relettered as sub-clause (aa) thereof.

3. After clause 3 of the said Order, the following clause shall be inserted, namely:—

"3A. Restrictions on the movement of rice to, from or within, the border area.—No person shall transport, attempt to transport or abet the transport of rice,

(a) to any place in the border area from any place outside that area, or

(b) from any place in the border area to any other place in that area, except under and in accordance with a permit issued by the State Government or any officer authorised by that Government in this behalf:

Provided that nothing contained herein shall apply to the transport of rice:—

(i) on Government account; or

(ii) under and in accordance with Military Credit Notes; or

(iii) within the same town or village in the border area; or

(iv) from a village in the border area to the nearest grain market (mandi) in the State of Madhya Pradesh whether such market (mandi) is within or outside the border area; or

(v) not exceeding twenty kilograms in weight in the aggregate at one time by a bona-fide resident of the border area for domestic consumption, or by a bona-fide cultivator of the border area for agricultural purposes; or

(vi) not exceeding two kilograms in weight in the aggregate by a bona-fide traveller as part of his luggage; or

(vii) being gift rice received under the Indo-US Agreement on Relief Supplies, 1951, and despatched by the Regional Director (Food), Bombay, Madras or Calcutta to a nominee of the American Voluntary Relief Agency concerned for relief purposes."

[No. 204(MP)(1)/25/70-PY.II.]

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1970

सा० का० नि० 1290.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा मध्य प्रदेश चावल (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1957 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है अर्थात:—

1. यह आदेश मध्य प्रदेश चावल (संचलन नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1970 कहा जा सकेगा।

2. मध्य प्रदेश चावल (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के खण्ड 2 में, :

(i) उपखण्ड (क) के पूर्व निम्नलिखित उप-खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(क) 'सीमा क्षेत्र' से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों से आसाम मध्य प्रदेश, के राज्य की समस्त सीमा के साथ की आठ किलोमीटर पट्टी के भीतर का क्षेत्र अभिप्रेत है" ;

(ii) उपखण्ड (क) उस के उपखण्ड (कक) के रूप में अक्षरांकित किया जाएगा।

3. उक्त आदेश के खण्ड 3 के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड अतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

(3क) सीमा क्षेत्र को, से या के भीतर चावल के संचलन पर निर्बन्धन—

(क) कोई भी व्यक्ति सीमा क्षेत्र में के किसी स्थान को उस क्षेत्र से बाहर के किसी स्थान से, या

(ख) सीमा क्षेत्र में के किसी स्थान से उस क्षेत्र में के किसी अन्य स्थान को, राज्य सरकार या उस राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किए गए अनुज्ञापत्र के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय चावल परिवहन, परिवहन का प्रयत्न या परिवहन का दुष्प्रेरण नहीं करेगा।

परन्तु इस में की कोई भी बात—

(i) सरकार की ओर से ; या

(ii) सैनिक जमा पत्रों के अन्तर्गत और के अनुसार; या

(iii) सीमा क्षेत्र में के उसी नगर या ग्राम के भीतर; या

(iv) सीमाक्षेत्र में के किसी ग्राम से मध्य प्रदेश में के निकटस्थ अनाज बाजार (मंडी) को चाहे ऐसा बाजार (मंडी) सीमा क्षेत्र के भीतर या बाहर हो; या

(v) घरेलू उपभोग के लिए सीमा क्षेत्र के सद्भाविक निवासी ए भद्वारा या कृषि प्रयोजनों के लिए सीमा क्षेत्र के सद्भाविक किसान द्वारा एक ही सप्रय पर तौल में कुल बीस किलोग्राम से अनधिक ; या

(vi) किसी सद्भाविकयात्रा द्वारा, उस के सामान के भाग के रूप में तोल में कुल दो किलोग्राम से अनधिक ; या

(vii) सहायता प्रदाय पर भारत-अमेरिका करार, 1951 के अन्तर्गत प्राप्त और क्षेत्रीय निदेशक, (खाद्य), बम्बई, मद्रास या कलकत्ता द्वारा सहायता प्रयोजनों से संबंधित अमेरिकन वालेण्टरी रिलीफ एजेन्सी के किसी नामनिर्देशित व्यक्ति को प्रेषित उपहार चावल होने पर "

चावल के परिवहन को लागू नहीं होगी।

[सं० 204 (म० प्र०) 125/70-पी० बाई० II]

G.S.R. 1291.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds the Madhya Pradesh Foodgrains (Restrictions on Border Movement) Order, 1959, published with the Order of the Government of India in the Ministry of Food and Agriculture (Department of Food), No. G.S.R. 450, dated the 14th April, 1959:

Provided that such rescission shall not affect:—

(a) the previous operation of the Order or anything duly done or suffered thereunder; or

(b) any privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Order; or

(c) any penalty, forfeiture or punishment, incurred in respect of any offence committed against the said Order; or

(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid;

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said Order had not been rescinded.

[No. 204(MP)(1)/24/70-PY.II.]

D. N. PRASAD, Dy. Secy.

दिल्ली 27 अगस्त, 1970

सा० का० नि० 1291.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) का धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं० सा० का० नि० 450, तारीख 14 अप्रैल, 1959 के साथ प्रकाशित मध्य प्रदेश खाद्यान्न (सीमा संचलन पर निर्बन्धन) आदेश, 1959 को विखण्डित करती है :

परन्तु ऐसे विखण्डन का —

(क) आदेश के पूर्व प्रवर्तन पर या तद्धीन सम्यक्त : की गई या मुक्त किसी बात; या

(ख) उक्त आदेश के अधीन अर्जित किसी विशेषा धिकार, प्रोद्भूत किसी बाध्यता या उपगत किसी दायित्व ; या

(ग) उक्त आदेश के विरूद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड; या

(घ) यथा पूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के संबंध में किसी अन्वेषण विधिक कार्यवाही या उपचार ; पर प्रभाव नहीं पड़ेगा,

और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार ऐसे संस्थित किया, जारी रखा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड ऐसे अधिरोपित किया जा सकेगा मानों उक्त आदेश विखण्डित नहीं किया गया था ।

[सं० 204(रा० प्र०) (1)/24/70-पी० वाई०-II.]

डी० एम० प्रसाद, उप सचिव ।

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1970

जी० एस० आर० 436.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, विस्तार निदेशालय, कृषि विभाग, नई दिल्ली में सम्पादक तथा सम्पादक (फार्म बुलेटिन) के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) ये नियम विस्तार निदेशालय (सम्पादक तथा सम्पादक (फार्म बुलेटिन) भर्ती नियम, 1969 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हो जायेंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर भर्ती के लिए लागू होंगे ।

3. **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से लेकर 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से लेकर 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं;

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष व्यक्तिप्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में, सीधी भर्ती के लिए विहित उच्चतम आयुसीमा समय-समय पर निकाले गये केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार, शिथिल की जा सकेंगी ।

5. **निरर्हता.**—(क) वह व्यक्ति उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं या जो एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करता है जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसी पत्नी के जीवन काल में होता है, और

(ख) वह स्त्री उक्त पदों पर नियुक्ति की पात्र नहीं होगी जिसका विवाह इस कारण शून्य है कि उस विवाह के समय उसके पति की पत्नी जीवित थी या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी उस विवाह के समय जीवित थी ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि इस नियम के प्रवर्तन से छूट देने योग्य विशेष आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उन कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी ।

"अनुसूची"

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) के विस्तार निदेशालय में सम्पादक तथा सम्पादक (फार्म बुलेटिन) के पद के लिये भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सम्पादक तथा सम्पादक (फार्म बुलेटिन)	दो	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग I (राजपत्रित)	700-40-1100-50/2-1250 रु०	लागू नहीं होता	45 वर्ष या उससे कम

सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की कालावधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या अंतरण द्वारा, तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री अधिमानतः कृषि में । (ii) सम्पादकीय/पत्रकारिता के कार्य का लगभग 5 वर्ष का अनुभव जिसमें तकनीकी विषयों पर सरल अंग्रेजी में लेख लिखने का अनुभव भी सम्मिलित है । (iii) ग्रामीण विषयों पर व्यापक संसूचना के लिए प्रचार सामग्री तथा दृश्य सहायता तयार करने का अनुभव । अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताएं आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । वांछनीय : (i) हिन्दी या किसी अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान । (ii) प्रकाशन कार्य की प्रस्तुती के पक्ष का ज्ञान जिसमें पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं आदि के लिए खाका तथा मुद्रण-कला भी सम्मिलित है ।	लागू नहीं होना	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति की जानी है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	जैसा नियमों के अधीन अपेक्षित है ।

[सं० 15-21/67-(वाह्य स्थापना 2)-अवाह्य स्थापना 1]

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1969

जी० एस० आर० 2771—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और, सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) के अधीन समन्वेषी नल-कूप संस्था फरीदाबाद, के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) ये नियम समन्वेषी नल-कूप संस्था (अर्थशास्त्री) भर्ती नियम, 1969 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हो जाएंगे ।

2. **लागू होना** :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद पर भर्ती के लिए लागू होंगे ।

3. **पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से लेकर 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं** :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से सम्बद्ध अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से लेकर 13 तक में विनिर्दिष्ट है :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष व्यक्ति-प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में, सीधी भर्ती के लिए विहित उच्चतम आयु सीमा समय-समय पर निकाले गए केन्द्रीय सरकार के साधारण आदेशों के अनुसार, शिथिल की जा सकेगी ।

5. निरर्हता .—(क) वह व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित है या जो एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करता है जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसी पत्नी के जिवन काल में होता है ।

(ख) वह स्त्री उक्त पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होगी जिसका विवाह इस कारण शून्य है कि उस विवाह के समय उसके पति की पत्नी जीवित थी या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी उस विवाह के समय जीवित थी :

परन्तु केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि इस नियम के प्रवर्तन से छूट देने योग्य विशेष आधार हैं तो वह आदेश दे सकेगी, कि उसे छूट दी जाए ।

6. **शिथिल करने की शक्ति**:—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाऐंगे, और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी ।

"अनुसूची"

राजस्थान में भूमिगत जल सर्वेक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (विशेष निधि) प्रायोजन के अधीन खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) के समन्वेषी नल-कूप संस्था में अर्थशास्त्री के पद के लिए भर्ती नियम ।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
अर्थशास्त्री	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 राजपत्रित (अननुसचिवीय)	700—40—1100—50/2—1250 रु०	लागू नहीं होता	35 वर्ष तथा उससे कम (सरकारी सेवकों के लिये शिथिल की जा सकती है)।

सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की कालावधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा, या प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा, तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थ शास्त्र या सांख्यिकी या कृषि अर्थ शास्त्र या वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी की मास्टर की डिग्री या उसके समतुल्य ।	लागू नहीं होगा	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।
(2) मान्यता प्राप्त संस्थाओं या सरकारी विभागों या सुप्रसिद्ध वाणिज्यिक संस्थाओं में अर्थ व्यवस्था और/या वाणिज्य क्षेत्र में अन्वेषण/अनुसन्धान के विषय में लगभग 5 वर्ष का अनुभव ।			
(3) अर्थशास्त्र और /या वाणिज्यिक क्षेत्र में नवीनतम विकास का सप्रमाण ज्ञान । (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताएं आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी)।			
वांछनीय : अर्थशास्त्र और/या सांख्यिकी और/या वाणिज्य और/या कृषि अर्थशास्त्र में डाक्टरेट या अन्य अनुसन्धान की डिग्री ।			

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण : भारतीय अर्थ सेवा ग्रेड 3 या भारतीय अर्थ सेवा ग्रेड 4 के ऐसे अधिकारियों में से जिन्होंने ग्रेड 4 में 4वर्ष तक सेवा की हो, जिसके न होने पर केन्द्रीय या राज्य सरकारों के अन्य विभागों के ऐसे अधिकारियों से, जो सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हों और जो भारतीय अर्थ सेवा के ग्रेड 3 या ग्रेड 4 के समतुल्य पद पर विद्यमान हों । (प्रतिनियुक्ति की अवधि समान्यतः 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं होता	जैसा संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) नियमावली 1958 के द्वारा अपेक्षित हो ।

[सं० 30-48/69 बाह्य स्थापना-1.]

आर० एन० गुप्ता, अवर सचिव ।

CABINET SECRETARIAT
(Department of Statistics)

New Delhi, the 14th August 1970

G.S.R. 1292.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the General Central Service (Class III posts in the Industrial Statistics Wing, Central Statistical Organisation, Calcutta, Cabinet Secretariat) Recruitment Rules, 1959, namely:—

1. (1) These rules may be called the General Central Service (Class III posts in the Industrial Statistics Wing, Central Statistical Organisation, Calcutta, Cabinet Secretariat) Recruitment (Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the General Central Service (Class III posts in the Industrial Statistics Wing, Central Statistical Organisation, Calcutta, Cabinet Secretariat) Recruitment Rules, 1959, against Sl. No. "2. Assistant" under column 5 for the entry "selection", the entry "Non-Selection" shall be substituted.

[No. 18/21/65-Estt.I/II.]

K. P. GEETHAKRISHNAN, Dy. Secy.

मंत्रीमंडल सचिवालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1970

सा० सा० नि० 1292.—संविधान की धारा 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति सामान्य केन्द्रीय सेवा (औद्योगिक आंकड़ा स्कन्ध, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन कलकत्ता, मंत्रिमंडल सचिवालय में श्रेणी 3 के पदों की) भर्ती नियम, 1959 में आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमों का प्रतिपादन करते हैं अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को सामान्य केन्द्रीय सेवा (औद्योगिक आंकड़ा स्कन्ध, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, कलकत्ता, मंत्रीमंडल सचिवालय श्रेणी III के पदों की) भर्ती (संशोधन) नियमों के नाम से अभिहित किया जाएगा ।

(2) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से वे लागू होंगे

2. सामान्य केन्द्रीय सेवा (औद्योगिक आंकड़ा स्कन्ध, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, कलकत्ता, मंत्रिमंडल सचिवालय में श्रणी III के पदों की) भर्ती नियम, 1959, की अनुसूची में स्तम्ब 5 के अन्तर्गत क्रम संख्या 2 सहायक " के सामने "चयन" प्रविष्टि के लिए "चयनेतर" प्रविष्टि प्रस्थापित की जाएगी ।

[सं० 18/21/65-संथापन-1/2)]

के० पी० गीताकृष्णन्, उप सचिव ।

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

[Department of Labour and Employment (D. G. E. and T.)]

New Delhi, the 26th August 1970

G.S.R. 1293.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of Section 2 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), and after consultation with the Central Apprenticeship Council, the Central Government hereby specifies the following trade as a designated trade for the purposes of the said Act, namely:—

Trade	**Code number (s) of *National classification of Occpation.**
Building and furniture trades group.	
BRICK LAYER	791.20

*The reference is to National Classification of Occupations adopted by the Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation, Directorate General of Employment and Training.

[No. 51/4/70-AP(i)]

श्रम नियोजन एवं पुनर्वास मंत्रालय

(नियोजन एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1970

सा० का० नि० 1293 :—शिक्षुता अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 2 की उपधारा (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय शिक्षुता परिषद से परामर्श करने के बाद केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यवसाय को उक्त अधिनियम के लिए निर्दिष्ट व्यवसाय के रूप में सम्मिलित करती है, अर्थात् :—

व्यवसाय	राष्ट्रीय वर्गीकरण की छूट संख्या (ए)
बिल्डिंग व फर्नीचर व्यवसाय वर्ग	
ब्रिक लेयर	791.20

इससे अभिप्राय, भारत सरकार, श्रम, नियोजन एवं पुनर्वास मंत्रालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा अपनाये व्यवसायों के राष्ट्रीय वर्गीकरण से है।

[सं० 51/4/70—ए पी]

G. S. R. 1294.—In exercise of the powers conferred by sub-section(1)of section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) and after consulting the Central Apprenticeship Council, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship rules, namely:

2. These rules may be called the Apprenticeship (Amendment) Rules, 1970.

3. In the Apprenticeship Rules, 1962(hereinafter referred to as the said rules),in sub-rule (1) of rule 5 under Group No 5 relating to "Building and furniture trades group" after and the entries relating there to the following items and entries shall be inserted, namely :

Trades	Code No. (s) of National Classification of Occupations	Period of Training
"4. BRICK LAYER	791·20	one year"

3. In schedule I to the said rules, after item 53 and the entries relating thereto,the following item and entries shall be inserted, namely:

Sl. No.	Designated trades	Mninimum educational qualifications	
		Essential	Desirable
"54	BRICK LAYER	A pass in the primary section (V Class)"	

[No. 51/4/70-AP.]

सा० का० नि० 1294.—शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय शिक्षुता परिषद से परामर्श करने के बाद, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा शिक्षुता नियमों म और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत: :—

2. ये नियम शिक्षुता (संशोधित) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

3. शिक्षुता नियम, 1962 (भविष्य म उक्त नियम के रूप में कहे जाएंगे) के नियम 5 के उप-नियम (1) में "बिल्डिंग एवं फर्नीचर व्यवसाय वर्ग "से सम्बन्धित वर्ग 5 के नीचे मद 3 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों प्रतिस्थापित की जाएंगी , अर्थात् :—

व्यवसाय	व्यवसायों के राष्ट्रीय वर्गीकरण की कूट संख्या (एं)	प्रशिक्षण अवधि
"4 ब्रिक लेयर	791.20	एक वर्ष

3. उक्त नियम की अनुसूची 1 में मद 53 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्न-लिखित मदे और प्रविष्टियें प्रतिस्थापित की जाएंगी ।

क्रम संख्या	निर्दिष्ट व्यवसाय	न्यून तम शैक्षिक योग्यताएं अनिवार्य	वांछित
"54 ब्रिक लेयर		प्राथमिक अनुभाग उत्तीर्ण (पांचवी श्रेणी)	

[सं० 51/4/70-एपी]

New Delhi, the 26th August 1970

ORDER

G.S.R 1295.—In exrcise of the powers conferred by sub-section (i) of section 8 of the Apprentices Act, 1961(52 of 1961),the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council, hereby determines that for the designated trade specified in column 1 below, the ratio of apprentices to workers other then unskilled workers in that trade, shall be as indicated in column 3 thereof

Designated trade	Code No. (s) of National Classification of Occupation.	RATIO	
		Apprentices	Workers other than unskilled workers
1	2	3	
Brick Layer	791·20	1	7

[No. 51/4/70-AP.]

G. JAGANNATHAN, Dy. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 अगस्त 1970

सा०का०नि० 1295.—शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52 वां) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के बाद, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्धारित करती है कि नीचे कालम 1 में उल्लिखित, निर्दिष्ट व्यवसाय के लिए उस व्यवसाय के अकुशल कामगरों के अलावा कामगरों से शिक्षुओं का अनुपात कालम 3 में लिखे अनुसार होगा ।

निर्दिष्ट व्यवसाय	व्यवसाय का राष्ट्रीय वर्गीकरण का कूट संख्या (ए)	अनुपात शिक्षु अकुशल कामगरों के अलावा कामगार
1	2	3
ब्रिक लेयर	791.20	1:7

[संख्या 51/4/70-एपी]

ग० जगन्नाथ, उप सचिव ।

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS
(Company Law Road)

New Delhi, the 11th August 1970

G.S.R. 1296.—In exercise of the powers conferred by section 624A of the Companies Act 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri K. V. L. N. Anjaneya Sastri Company Prosecutor Grade II, and Shri V. Ramakrishnan, Company Prosecutor Grade III, in the Office of the Registrar of Companies, Madras, as Company Prosecutors for the conduct of the prosecutions arising out of the said Act in all Courts of the State of Tamilnadu.

2. This is issued in supersession of notification C.S.R. 1067 dated the 14th July, 1970.

[No. 46/31/69-CL.II.]

V. K. VENKATARAMAN, Under Secy.

कम्पनी कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 अगस्त 1970

सा०का०नि० 1296.—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 624 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार, मद्रास के कार्यालय के ग्रेड II कम्पनी अभियोजक श्री के० वी० एन० एस० प्रभाकर शास्त्री तथा ग्रेड III कम्पनी अभियोजक श्री वी० रामकृष्णन, को, तामिलनाडु राज्य के सम्पूर्ण न्यायालय में कथित अधिनियम के उत्पन्न मुकदमों की पैरवी करने के लिये कम्पनी अभियोजक के पद पर नियुक्त करती है ।

2. यह, अधिसूचना सा० का० नि० 1067 दिनांक 14 जुलाई, 1970 के अधिलंघन में प्रेषित की गई है ।

[सं० 46/31/69-सी० एल० II.]

वी० के० वेंकटारमन, अवर सचिव ।

औद्योगिक विकास विभाग

नई दिल्ली, 18 मार्च 1970

जी० एस० आर० 567.—केन्द्रीय बायलर्स बोर्ड (सदस्यों का नाम निर्देशन) नियम 1967 के नियम 4 (च) के साथ पठित भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 27-क की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र, तारीख 20 फरवरी, 1965 के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के भूतपूर्व निर्माण और आवास मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 267 तारीख 10 फरवरी, 1965 (बी० एल०—1(1)/64-सी०II) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में ,—

"1. धारा 27-क की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य" शीर्षक के नीचे क्रम संख्या 8 के सामने "श्री डी० जी० टर्नबुल" प्रविष्टि के स्थान पर "श्री जी० के० राजू" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ।

[सं० बी० एल० -1(1)/70-ई ई I]

एम० सेठ, उप सचिव ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 10th June 1970

G.S.R. 1297.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 and clause (1) of article 299 of the Constitution, the President is pleased to make the following rule, namely:—

All Loan Agreements, Promissory Notes and other documents required to be executed in exercise of the executive power of the Union, in connection with the establishment, by the Export Import Bank of the United States, U.S. private lending institutions and other parties, of a line of credit in United States Dollars, to assist India in financing the acquisition of such commodities and services and for such other purposes, as shall from time to time be mutually agreed upon between the President and the Export Import Bank of the United States, U.S. private lending institutions and other parties, shall be executed and authenticated on behalf of the President by the Ambassador in the United States of America or by the Charge de Affaires *ad interim* for India in the United States of America, or by the Minister (Economic) in the Indian Embassy, Washington D.C., or by the Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs.

By order and in the name of the President.

[No. F.2(1)-Com/70.]

C. S. SWAMINATHAN, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(अर्थ विभाग)

नयी दिल्ली, 10 जून, 1970

सा० का० नि० 1297.—संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) और अनुच्छेद 299 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा प्रसन्नतापूर्वक निम्नलिखित नियम बनाया गया है, अर्थात्:—

राष्ट्रपति और अमेरिका के आयात-निर्यात बैंक, अमेरिका की गैर-सरकारी ऋण देने वाली संस्थाओं तथा अन्य एसी पार्टियों के बीच समय-समय पर परस्पर सम्मत वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त करने और अन्य प्रयोजनों के लिए आवश्यक वित्त-पोषण में भारत को सहायता देने के उद्देश्य से, अमेरिका के आयात-निर्यात बैंक, अमेरिका की गैर-सरकारी ऋण देने वाली संस्थाओं और अन्य पार्टियों द्वारा अमरीकी डालरों में ऋण की एक व्यवस्था स्थापित करने के सम्बन्ध में, संघ की कार्यपालक शक्ति का प्रयोग करते हुए निष्पादित किये जाने वाले सभी ऋण करार, वचन-पत्र और अन्य प्रलेख, राष्ट्रपति की ओर से अमेरिका स्थित भारतीय राजदूत द्वारा अथवा अमेरिका स्थित भारतीय अन्तरिम कार्यदूत द्वारा अथवा वाशिंगटन डी०सी० स्थित भारतीय राजदूतावास के मंत्री (आर्थिक) द्वारा अथवा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अर्थ विभाग के सचिव द्वारा निष्पादित तथा प्रमाणित किये जायेंगे।

नयी दिल्ली, दिनांक 10 जून, 1970

राष्ट्रपति की आज्ञा से और उनके नाम से।

[सं० एफ० 2(1) कामनवेल्थ/70]

सी० एस० स्वामिनाथन, संयुक्त सचिव।

(Department of Revenue and Insurance)

New Delhi, the 5th September 1970

G.S.R. 1298.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 75, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, namely:—

1. (1) These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General), 59th Amendment Rules, 1970.

(2) They shall be deemed to have come into force on 1st June, 1970.

2. In the First Schedule to the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960:—

(a) in serial number 4, for item (D) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"(D) Tin plate products including tin containers (filled); Tin containers (empty assembled), or (unassembled), tin plate components of containers, tin plate washers or mathematical instruments boxes made of tin plate, Advertisement tablets, Trays, Match Box covers, Screw caps and Necks, Stove cleaning needles and Desk pad made of tin plate.	Rs. 432/- per tonne.";

(b) for serial number 69 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"69. Tin containers of 11.34 Kgs. capacity containing Cashew Kernels for which Carbon dioxide is used for preservation.	Rs. 457/- per 1000 tins of 12.34 Kg. gross weight (weight of each tin container should not be less than 1 kg.) plus 38 paise per container.

Provided the exemption under this Ministry's notification No. 7/65 CE, dated the 30th January, 1965, has not been availed of."

Explanatory Memorandum

The Central Excise duty has been increased on the Tinplate under the Finance Act, 1970. With a view to relieve the export products from the burden of the Central Excise duties, it has been decided to allow drawback at the rates specified in column 3 of the notification No. 71/F.No. 600/50/70-DBK dated 5th September, 1970. No one is likely to be adversely affected by such a retrospective effect.

[No. 71/F. No. 600/50/70-DBK.]

(राजस्व और बीमा विभाग)

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1970

सा० का० नि० 1298.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 75 की उपधारा (2) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960, में और आगे संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्:—

1. (1) ये नियम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) 59वां संशोधन नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

(2) ये 1 जून, 1970 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 की प्रथम अनुसूची में —

(क) क्रम सं० 4 में, मद (घ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"(घ) टिन प्लेट उत्पाद जिनमें टिन के आधान (भरे हुए) सम्मिलित है; टिन के आधान (खाली समंजित) या (असमंजित), आधानों के टिन प्लेट घटक, टिन प्लेट वाशर या टिन प्लेट से बने गणित यंत्र बाक्स, टिन प्लेट के बने विज्ञापन पट्ट, ट्रे, दिया सलाई की डिबिया के खोल, स्क्रू कैप और नैक्स, स्टोव साफ करने की सुइयां और डेस्क पैड।

(ख) क्रम संख्या 69 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"69 11.34 किलोग्राम धारिता के टिन आधान जिनमें काजू की गिरी हो जिसके परिरक्षण के लिये कार्बन डायाक्साइड प्रयुक्त की गई हो।	12.34 किलोग्राम सकल भार वाले प्रति 1000 टिनों के लिये 457/– रूपये (टीन के प्रत्येक आधान का भार। किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिये) तथा 38 पैसे प्रति आधान।

परन्तु यह तब जबकि इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 7/65–सीई, तारीख 30 जनवरी, 1965 के अधीन छूट का उपभोग न किया गया हो।"

स्पष्टीकरण ज्ञापन

वित्त अधिनियम, 1970 के अधीन टिन प्लेट पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया गया है। निर्यात उत्पादों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भार से अवमक्त करने के लिये अधिसूचना संख्या 71/एफ० सं० 600/50/70 डीबीके तारीख 5–9–1970 के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क की वापसी अनुज्ञात करने का विनिश्चय किया गया है। ऐसे भूतलक्षी प्रभाव से किसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है।

[संख्या 71एफ० सं० 600/50/70–डीबीके]

G.S.R. 1299.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 75, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, namely:—

1. (1) These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) 60th Amendment Rules, 1970.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st June, 1970.

2. In the First Schedule to the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, in Serial No. 15—

(i) in item (A), in sub-item (ii), for the entry in column

(3) "Rs. 28 per Kg. of staple fibre content of Non-cellulosic origin, other than acrylic fibre, if any, plus", the following entry shall be substituted, namely:—

"Rs. 28 per Kg. of staple fibre content of non-cellulosic origin (other than polyester staple fibre of 2 deniers or less) if any, or

Rs. 33.33 per Kg. of polyester staple fibre of 2 deniers or less, if any, in in addition, plus"

(ii) in item (C), for the entry in column (3) "Rs. 28 per Kg. of Staple fibre content of Non-cellulosic origin, other than acrylic fibre, if any, in addition, plus", the following entry shall be substituted, namely:—

"Rs. 28 per Kg. of staple fibre content of non-cellulosic origin (other than polyester staple fibre of 2 deniers or less) if any, or

Rs. 33 33 per Kg. of polyester staple fibre of 2 deniers or less, if any, in addition, plus".

Explanatory Memorandum

The Central Excise duty rate on Polyester Staple fibre of 2 denier or less has been changed from Rs. 28 to Rs. 33.33 per kg. under the Finance Act, 1970. With a view to relieve the export product from the burden of the Central Excise duties, it has been decided to allow drawback at the rates specified in the notification No. 72/F. No. 600/38/70-DBK dated 5th September, 1970. No one is likely to be adversely affected by such retrospective effect.

[No. 72/F.No. 600/38/70-DBK.]

सा० का० नि० 1299.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 75 की उपधारा (2) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960, में और आगे संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. ये नियम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) 60वां संशोधन नियम, 1970, कहे जा सकेंगे।

2. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 की प्रथम अनुसूची में, क्रम सं० 15 में—

(i) उपमद (ii) की मद (क) में स्तंभ (3) में की "एक्रिलिक रेशे से भिन्न नान-सेलुलोसी मूल के प्रति किलोग्राम रेशा तन्तु अन्तर्वस्तु यदि कोई हो पर 28/रु० तथा" प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

"नान-सेलुलोसी मूल की (2 डेनियर या कम की पालिएस्टर रेशा तन्तु से भिन्न) प्रति किलोग्राम रेशा तन्तु अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, पर 28 रु० या 2 डेनियर या कम के प्रति किलोग्राम पालिएस्टर रेशा तन्तु पर 33.33 रु० यदि कोई हो,

तथा, इसके अतिरिक्त;"

(ii) मद (ग) में, स्तंभ (3) में की "एक्रिलिक रेशे से भिन्न नान-सेलुलोसी मूल के प्रति किलोग्राम रेशा तन्तु अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, पर 28/-रु. तथा इसके अतिरिक्त" प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

"नॉन-सेलुलोसी मूल की (2 डेनियर या कम की पोलिएस्टर रेशा तन्तु से भिन्न) प्रति किलोग्राम रेशा तन्तु अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, पर 28/-रु० या 2 डेनियर या कम के प्रति किलोग्राम पॉलिएस्टर रेशा तन्तु पर 33.33 रु० यदि कोई हो, तथा, इसके अतिरिक्त ।"

स्पष्टीकरण ज्ञापन

वित्त अधिनियम, 1970 के अधीन दो डेनियर या कम के पॉलिएस्टर रेशा तन्तु पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की दर 28/-रु० से परिवर्तित करके 33·33/-रु० प्रति किलोग्राम कर दी गई है। निर्यात उत्पाद को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भार से अवयवत करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि अधिसूचना संख्या 72/एफ० सं० 600/38/70 डीबीके तारीख 5-9-70 में विनिर्दिष्ट दरों पर वापसी अनुज्ञात की जाए। ऐसे भूतलक्षी प्रभाव से किसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[सं० 72-एफ० सं 600/38/70-डी० बी० के०]

G.S.R. 1300.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 75, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, namely:—

1. These rules be called the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) 61st Amendment Rules, 1970.

2. In the First Schedule to the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, for Serial No. 42 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely:—

"42. Alumina Ferric	Twelve rupees and forty paise per tonne.

Provided that no rebate of duty of excise leviable on the Sulphuric acid used in the manufacture of Alumina Ferric under Item No. 14G of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944, has been granted."

[No. 73/F. No. 600/12/70-DBK.]

सा० का० नि० 1300.—सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 75 की उपधारा (2) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960, में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. ये नियम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारणम) 61वां संशोधन नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

2. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 की प्रथम अनसूची में, क्रम सं० 42 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"42 ऐलमिना फेरिक	बारह रुपए चालीस पैसे प्रति टन

परन्तु ये तब जब कि ऐलमिना फेरिक के निर्माण में प्रयुक्त सल्फ्यूरिक अमल पर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनसूची की मद सं० 14छा के अधीन, उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क पर कोई रिबेट मंजूर नहीं किया गया हो ।"

[सं० 73/एफ० सं० 600/12/70 डी० बी० के]

G.S.R. 1301.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 75, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, namely:—

1. These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) 62-Amendment Rules, 1970.

2. In the Second Schedule to the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, for Serial No. 302 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"302 Graphite powder and articles made of Graphite".

[No. 74/F.No.601/302/1/70-DBK.]

सा० का० नि० 1301—सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 75 की उपधारा (2) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960, में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. ये नियम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) 62वां संशोधन नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

2. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 की द्वितीय अनुसूची में क्रम सं० 302 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"302 ग्रैफाइट पाउडार और ग्रैफाइट की बनी वस्तुएं" ।

[सं० 74/601/302/1/70—डीबीके]

G.S.R. 1302.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 75, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, namely:—

1. These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) 63rd Amendment Rules, 1970.

2. In the First Schedule to the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, for Serial Nos. 10 and 11 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely:—

"10	Dichromates—	
	(1) Sodium Dichromate Dihydrate.	Rs 39·20 per tonne.
	(2) Potassium Dichromate	Rs. 217·40 per tonne.
11.	Chromic Acid.	Rs 58·80 per tonne."

This notification shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1970."

Explanatory Memorandum

The Central Excise duty rate on Soda Ash has been changed from 5 per cent adv. to 10 per cent adv. under the Finance Act, 1970. With a view to relieve the export product from the burden of the Central Excise duties, it has been decided to allow drawback at the rates specified in the Notification No. 76/F. No. 600/51/70-DBK dated the 5th September, 1970. No one is likely to be adversely affected by such a retrospective effect.

[No. 76/F. No. 600/51/70-DBK.]

सा० का० नि० 1302.—सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 75 की उपधारा (2) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960, में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) 63वां संशोधन नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

2. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 की प्रथम अनुसूची में, क्रम सं० 10 और 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"10.	डाइक्रोमेट—	
	(1) सोडियमडाइक्रोमेट बिहाइड्रेट	39.20 रु० प्रति टन
	(2) पोटाशियम डाइक्रोमेट	217.40 रु० प्रति टन
11.	क्रोमिक अम्ल	58.80 रु० प्रति टन

यह अधिसूचना जून 1970 के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।"

स्पष्टीकरण ज्ञापन

वित्त अधिनियम, 1970 के अधीन धोने के सोड़े पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 5% मूल्यानुसार से परिवर्तित कर के 10% मूल्यानुसार कर दिया गया है। निर्यात उत्पाद को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भार से राहत देने की दृष्टि से, अधिसूचना सं० 76 एफ० सं० 600/51/70 डी बी के तारीख 5 सितम्बर में विनिर्दिष्ट दरों पर वापसी अनुज्ञात करना विनिश्चित किया गया है। ऐसे भूतलक्षी प्रभाव से किसी पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

[सं० 76/एफ० सं० 600/51/70-डी० बी० के०]

G.S.R. 1303.—In exercise of the powers conferred by sub-section(2) of section 75, readwith sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of1962) and section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rule further to amend the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960 namely:—

1. These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) 56th Amendment Rules, 1970.

2. In the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, in the First Schedule after Serial No. 124 and the entries relating there to, the following shall be inserted, namely:—

"S. No. 125 Textile Machinery.

1.	Draw Frames	4·6% of export FOB values.
2.	Speed Frames	8·4% "
3.	Ring Frames	11·9% "
4.	Mercerising machines	
	(a) Chainless Merceriser with open width washer (b) Chainless Merceriser without open width washer	10% "
5.	Cloth Singing Machines viz. cloth singing machine with pre dyer and desizing arrangements	2·45% "
6.	Curing Machines-also known as Baking machine or polyerising Machine	9·9% "
7.	Dye-Jigger viz. Auto-Dye-Jigger	9% "
8.	Pneumatic Pressure padding Mangles viz. 3 Bowl pneumatic pressure padding Mangle	7·9% "
9.	Drying Range viz. (a) Drying Range without Drive (b) Drying Range with variable speed Drive	11% " 13·8% "
10.	Hydraulic Batching Machines Viz. Hydraulic Batching Machine for Batches of more than 1·524 m (5 feet) in diameter	9·9% "
11.	Het Flue Driers-with variable speed Drive	8·1% "
12.	Washing Machine-with variable speed Drive	11·7% "
13.	4-Bowl Pad Dyeing Machine	5·7% "

[No. 67/F. No. 37/18/69-DBK]

सा० का० नि० 1303. —सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 75 की उपधारा (2) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण नियम, 1960 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. ये नियम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) 56वां संशोधन नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

2. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 की प्रथम अनुसूची में क्रम सं० 124 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"क्रम सं० 125 कपड़ा मशीनरी

(1) ड्रा फ्रेम . . .	निर्यात पोतपर्यन्त निशुल्क मूल्य का	4.6%
(2) स्पीड फ्रेम . . .	निर्यात पोतपर्यन्त निशुल्क मूल्य का	8.4%
(3) रिंग फ्रेम . . .	" " " "	11.9%
(4) मर्सराइज करने वाली मशीनें (क) ओप्न विड्थ वाशर सहित चेन रहित मर्सराइजर (ख) ओप्न विड्थ वाशर बगैर चेन रहित मर्सराइजर	" " " "	10%
(5) क्लाथ सिंगिंग मशीनें अर्थात् पूर्व रजन और डीसाइजिंग की व्यवस्था युक्त क्लाथ सिंगिंग मशीनें .	" " " "	2.45%
(6) क्योरिंग मशीनें—जो बेकिंग मशीनों और पालिमराइजिंग मशीनों के नाल से भी जानी जाती हैं .	" " " "	9.9%
(7) डाई-जिगर अर्थात् आटो-डाई-जिगर	" " " "	9%
(8) न्यूमैटिक प्रेशर पैडिंग मैंगल अर्थात् 3 बाउल न्यूमैटिक प्रेशर पैडिंग मैंगल . . .	" " " "	7.9%
(9) डाइंग रेंज अर्थात् . . (क) बिना डाइव को डाइंग रेंज .	" " " "	11%
(ख) परिवर्ती स्पीड डाइव सहित डाइंग रेंज . .	" " " "	13.8%
(10) हाईड्रोलिक बैचिंग मशीनें . अर्थात् 1.524 मि० (5 फुट) से अधिक व्यास वाले बैचों के लिए हाइड्रोलिक बैचिंग मशीनें .	" " " "	9.9%

(11) परिवर्ती स्पीड ड्राइव सहित ह्वाट ब्लू ड्रायर . . . निर्यात पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 8.1%

(12) परिवर्ती स्पीड ड्राइव सहित धुलाई मशीनें . . . „ „ „ „ 11.7%

(13) 4-बाउल पैड डाइंग मशीन . „ „ „ „ 5.7%

[सं० 67/37/18/69-डी बी के]।

G.S.R. 1304.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 75, read with sub-section (3)of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, namely:—

1. These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) 57th Amendment Rules, 1970.

2. In the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960,—

(a) in the First Schedule, for serial No. 75 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)
"75 (1)	Vegetable tanned leathers, all sorts known in the trade as E.I. tanned, semi-tanned, partially-tanned, half-tanned, pre-tanned hides and skins and crust leather.	1·5% of FOB Value.
(2)	Tanned hides and skins, chrome tanned (chrome tanned blue hides and skins), other than chrome crust leather.	3.3% of FOB Value.
(3)	Tanned hides and skins, chrome tanned-Chrome crust leather	4·4% of FOB Value.
(4)	All types of Finished leather, Leather belting, picking bands, buffers, sheep/calf roller skins and leather Aprons	5·5% of FOB Value.
(5)	Footwear and components of Footwear (excluding canvas footwear; plastic footwear and rubber footwear).	4·5% of FOB Value.
(6)	Light categories of travel and other leather goods like attache cases, brief cases, ladies hand bags, walets, leather apparell, purses, etc. .	10% of FOB Value.
(7)	Heavy leather goods like saddlery items, leather trunks, leather suit cases.	10% of FOB Value.
(8)	Industrial leather Gloves.	9% of FOB Value.

Explanation. The rates of drawback indicated against each item in this serial number are exclusive of packing materials which may be claimed separately under the relevant item of the serial number in this Schedule";

(b) In the Second Schedule—

(i) for serial number 26 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely.

"26 Footwear other than Leather Footwear"

(ii) Serial No. 34 and the entries relating there to shall be omitted;

(iii) in serial No. 158, for item (b) and the entries relating there to, the following shall be substituted, namely:—

"(b) Travel goods made of fibre, plastic and or any material fitted with metal fittings including locks.";

(iv) Serial No. 225 and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. 68/F. No. 600/2/70 DBK].

सा० का० नि० 1304.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 75 की उपधारा (2) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960, में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. ये नियम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) 57वां संशोधन नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

2. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 में :—

(क) प्रथम अनुसूची में, क्रम सं० 75 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"75.	(1) सभी प्रकार के वनस्पति शोधित चमड़े जिन्हें व्यापार में ई० आई० शोधित, अर्धशोधित, भागतः शोधित, आधाशोधित, पूर्वशोधित खालें और त्वचा तथा क्रस्ट चमड़ा कहा जाता है	पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 1.5%
	(2) क्रोम क्रस्ट चमड़े से भिन्न, शोधित खालें और त्वचाएं क्रोम शोधित (क्रोम शोधित नीली खालें और त्वचाएं)	पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 3.3%
	(3) शोधित खालें और त्वचाएं, क्रोम-शोधित क्रोम क्रस्ट चमड़ा	पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 4.4%
	(4) सभी प्रकार का परिसाधित चमड़ा, चमड़े की पेटियां, पिकिंग बैंड, बफर, शोप/काफ रोलर त्वचाएं और चमड़े के एप्रन	पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य 5.5%
	(5) जूते और जूतों के संघटक (कैनवैस के जूतों, प्लास्टिक के जूतों और रबड़ के जूतों को छोड़ कर के)	पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 4.5%
	(6) अटैची केसों, ब्रीफ केसों, महिलाओं के हैंड बैगों, वालेट, चमड़े के एपेरेल पर्स आदि जैसा यात्रा के और चमड़े के अन्य हल्के प्रवर्गों का माल	पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 10%
	(7) चमड़े का भारी माल जैसे काठी की चीजें, चमड़े के ट्रंक, चमड़े के सूट केस	पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 10%
	(8) औद्योगिक चमड़े के दस्ताने . .	पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 9%

स्पष्टीकरण—इस क्रम संख्या में प्रत्येक मद के सामने उपदर्शित वापसी की दरें उस पैकिंग सामग्री को छोड़ कर हैं जिनका दावा इस अनुसूची में की क्रम सं० की सुसंगत मद के अधीन अलग से किया जा सकता है ।"

(ख) द्वितीय अनुसूची में—

(i) क्रम सं० 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"26. चमड़े के जूतों से भिन्न जूते;"

(ii) क्रम सं० 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियों लुप्त कर दी जाएंगी,

(iii) क्रम सं० 158 में, मद (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(ख) फाइबर प्लास्टिक और या किसी अन्य ऐसी सामग्री से बना यात्रा का का माल, जिसमें धातु फिटिंग, जिसमें ताले भी सम्मिलित हैं फिट किया गया हो ।"

(i) क्रम सं० 225 और उससे संबंधित प्रविष्टियां लुप्त कर दी जाएगी ।

[सं० 68/ए/सं०/600/2/70-डीबीके]

G.S.R. 1305.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 75, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, namely:—

1. These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) 58th Amendment Rules, 1970.

2. In the Second Schedule to the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, for item No. 177 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"Fabrics, furnishing, bed-spread, towels and other made up articles mainly made of textile materials, not otherwise specified."

[No. 69/F. No. 1/304/69-DBK.]

सा० का० नि० 1305.—सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 75 की उपधारा (2) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण नियम, 1960, में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. ये नियम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादशुल्क निर्यात वापसी (साधारण) 58वां संशोधन नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

2. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 की द्वितीय अनुसूची में मद सं० 177 और उससे सम्बधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"फैब्रिक, साज-सज्जा, पलंग चादरें, तौलिए और मुख्यतः वस्त्र सामग्री से बनी तैयार वस्तुएं जो अन्यथा विनिर्दिष्ट न हों ।"

[सं० 69/एफ सं० 1/304/69—डी बी के]

CUSTOMS

New Delhi, the 5th September 1970

G.S.R. 1306.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 75, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. G.S.R. 575 (55/F. No. 34/86/60-Cus.IV), dated the 28th May, 1960, namely:—

In the Schedule to the said notification for Serial No. 284 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"284. Fabrics, furnishing, bed-spread, towels and other made up articles mainly made of textile materials, not otherwise specified."

[No. 70/F. No. 1/304/69-DBK.]

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1970

सा० का० नि० 1306.—सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 75 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 575 (55/एफ० सं० 34/86/60-सी० शु०) तारीख 28 मई, 1960 में एतद्द्वारा और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनसूची में, क्रम सं० 284 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"284 फैब्रिक, साज-सज्जा, पलंग-चादरें, तौलिए और मुख्यत: वस्त्र सामग्री से बनी तैयार वस्तुएं जो अन्यथा विनिर्दिष्ट न हों ।"

[सं० 70/एफ० सं० 1/304/69—डी० बी० के०]

G.S.R. 1307.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 75, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. G.S.R. 575 (55/F. No. 34/86/60-Cus. IV), dated the 28th May, 1960, namely:—

In the Schedule to the said notification, for Serial No. 366 and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"366 Graphite powder and articles made of Graphite".

[No. 75/F.No. 601/302/1/70-DBK.]

V. R. SONALKAR, Deputy Secy.

सा० का० नि० 1307—सीमा शल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 75 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 575 (55/एंफ० सं० 34/86/60—सी० शु० IV) तारीख 28 मई, 1960, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनसूची में, क्रम सं० 366 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"366 ग्रैफाइट पाउडर और ग्रेफाइट की बनी वस्तुएं ।"

[सं० 75/एफ सं० 601/(302)/70-डीबीके]

वि० रा० सोनलकर,
उप सचिव ।

(Department of Revenue and Insurance)

CUSTOMS

New Delhi, the 5th September 1970

G.S.R. 1308.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Revenue Division) No. 2-Customs, dated the 31st January, 1956, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts Methyl alcohol and Isopropyl alcohol, when imported into India, from so much of the duty of customs including the additional duty, if any, leviable thereon under the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934) as is in excess of 60 per cent *ad valorem*.

[No. 84/F.No.20/20/69-Cus.I.]

(राजस्व और बीमा विभाग)

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1970

सा० का० नि० 1308.—सीमा शल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व प्रभाग) की अधिसूचना सं० 2—सीमा शुल्क, तारीख 31 जनवरी 1956 को अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, मेथिल ऐल्कोहॉल और आइसोप्रोपिल ऐल्कोहॉल को, भारत में आयात किए जाने पर, उस पर भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) के अधीन उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क, जिसमें अतिरिक्त शुल्क यदि कोई हो सम्मिलित है, के उतने भाग से एतद्द्वारा छूट देती है जितना 60 परसेंट मूल्यानुसार से अधिक हो ।

[सं० 84/एफ० सं० 20/20/69—सी० शु० 1]

G.S.R. 1309.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 212-Customs, dated the 22nd September, 1957, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts propyl alcohol when imported into India and used for industrial or research purposes from so much of the duty of customs, including the additional duty, if any, leviable thereon under the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934) as is in excess of 60 per cent. *ad valorem*:—

Provided that either the process of manufacture of the product, in which the said alcohol is to be used, is conducted in bond in accordance with such conditions as may be prescribed in this behalf by the Assistant Collector of Customs, or, the said alcohol on importation is stored in a bonded warehouse and issued from bond in such small quantities and subject to such conditions as may be decided by the said Assistant Collector of Customs.

[No. 85/F.No.20/20/69-Cus.I.]

J. DATTA, Deputy Secy.

सा० का० नि० 1309—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 212—सीमा शुल्क, तारीख 22 सितम्बर, 1957, को अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, प्रोपिल एल्कोहॉल को, भारत में आयात और औद्योगिक या अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने पर, उस पर भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) के अधीन उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क, जिसमें अतिरिक्त शुल्क यदि कोई हो सम्मिलित है, के उतने भाग से एतद्द्वारा छूट देती है जितना 60 परसेंट मूल्यानुसार से अधिक हो ;

परन्तु यह तब जब कि या तो उत्पाद जिसमे उक्त ऐल्कोहॉल प्रयुक्त किया जाना हो, के विनिर्माण की प्रक्रिया, ऐसी शर्तों के अनुसार जैसा कि सहायक कलक्टर, सीमा शुल्क द्वारा इस निमित्त विहित की जाएं, बन्धकाधीन भाण्डागार में की जाए ; या आयात किए जाने पर उक्त ऐल्कोहॉल बन्धकाधीन भांडागार से, ऐसी थोड़ी मात्राओं में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी कि उक्त सहायक कलक्टर, सीमा शुल्क द्वारा विनिश्चित की जाएं, निकाला जाए।

[सं० 85/ए०सं० 20/20/69-सी० शु० I]

ज्योतिर्मय दत्त, उपसचिव।

(Department of Revenue and Insurance)

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 5th September, 1970

G.S.R. 1310.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts—

(i) converted types of paper, commonly known as imitation flint paper or leatherette paper or plastic-coated paper, or by any other name, obtained by one side of paper being subjected to printing of colour, with or without design, irrespective of the fact whether or not such paper is subsequently varnished or glazed by chemicals or embossed; and

(ii) gummed paper obtained by gum being applied to one side of paper:

falling under sub-item (4) of Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty leviable thereon, subject to the condition that it is proved to the satisfaction of the proper officer that the appropriate duty of excise or appropriate additional duty leviable under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934, as the case may be, has been duly paid in respect of the paper used in the making of such converted type of paper or gummed paper.

[No. 165/70.]

R. B. SINHA, Dy. Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1970

सा०का०नि० 1310.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 17 की उपमद (4) के अन्तर्गत आने वाले

(i) सामान्यतः नकली फ्लिंट कागज या लेदराइट कागज या प्लास्टिक विलेपित कागज के नाम से अथवा किसी अन्य नाम से ज्ञात संपरिवर्तित प्रकारों के कागज को, जो कागज की एक ओर, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि ऐसे कागज पर बाद में वार्निश की जाती है या उसको रसायनों द्वारा चमकदार बनाया जाता है या समुद्भूत किया जाता है या नहीं, डिजाइन के सहित या बिना रंग का मुद्रण करके प्राप्त किया जाता है; और

(ii) कागज की एक ओर गोंद लगाकर प्राप्त किए गए गोंदिया कागज को,

उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण शुल्क से इस शर्त के अध्यधीन छूट देती है कि समुचित अधिकारी के समाधानप्रद रूप से यह साबित कर दिया जाए कि भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की धारा 2-क के अधीन उद्ग्रहणीय, यथास्थिति, समुचित उत्पाद-शुल्क या समुचित अतिरिक्तशुल्क ऐसे संपरिवर्तित प्रकार के कागज या गोंदिया कागज के बनाने में प्रयुक्त कागज की बाबत सम्यक् रूप से संदत्त कर दिया गया है।

[सं० 165/70]

आर० बी० सिन्हा, उप सचिव ।

(राजस्व और सीमा विभाग)

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1969

सा०का०नि० 2362.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, एतद्द्वारा निदेश करती है कि भारत सरकार के

वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 69—सीमा शुल्क, तारीख 15 जून, 1968 में और आगे निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 77 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

क्रम सं०	माल का वर्णन	भारतीय टैरिफ अधिनियम 1934 की प्रथम अनुसूची में मद सं०
1	2	3
78.	पशुओं की आंतें, मूत्राशय और आमाशय (मछलियों से भिन्न) सम्पूर्ण और उनके टुकड़े	21(1) 87
	(1) आंतें :	
	(क) कच्ची या लवणित	
	(ख) सुखाई हुई	
	(2) अन्य:	
	(क) कच्चे या लवणित	
	(ख) सुखाए हुए	
79.	प्याज, ताजा या प्रशीतित	7
80.	सिट्रस फल, ताजा या परिरक्षित :	8
	(1) संतरे, मेंडाराइन और क्लेमेंटराइन	
	(2) अन्य:	
	(क) नीबू	
	(ख) ग्रेप फ्रूट	
	(ग) अन्य	
81.	चावल:	10(2)
	(1) भूसी सहित या रहित किन्तु और आगे तैयार नहीं किया गया:	
	(क) भूसी सहित	
	(ख) भूसी रहित	
	(2) अन्य:	
	(क) ग्लेज या पालिश किया गया	
	(ख) अन्य	

1	2	3
82.	मंहदी	13
83.	चुकंदर की चीनी और गन्ने की चीनी, ठोस . . .	17, 17(3)
	(1) गन्ने की चीनी, अपरिष्कृत	
	(2) अन्य	
	(क) गन्ने की चीनी, परिष्कृत	
	(ख) मिश्री	
84.	विनिर्मित तम्बाकू, तम्बाकू के सार और सत :	24, 24(1)
	(1) सिगार और चुरुट	24(2)
	(2) सिगरेट	
	(3) अन्य	
85.	समुद्री नमक	25(1), (25(2)
86.	पैट्रोलियम तेल और बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल, अपरिष्कृत तेलों को छोड़कर, अन्यत्र अविनिर्दिष्ट या असम्मिलित विनिर्दिष्टयां, जिनमें पेट्रोलियम तेल या बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल होंगे जो निर्मितियों के आधारभूत घटक हैं, भार द्वारा 70 प्रतिशत से अन्यून हों :	15(9), 27(3), 27(4), 27(5), 27(6), 27(7), 27(8), 80(4), 87
	(1) अंशत: परिष्कृत पेट्रोलियम, जिसमें टाप्ड अपरिष्कत पेट्रोलियम सम्मिलित है	
	(2) गैसोलीन :	
	(क) आसवन गैसोलीन	
	(ख) विशेष (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए खनिक-दीपों बेनायडउपकरण के लिए, रंगों और वार्निशों के लिए)	
	(ग) इंजन ईंधन	
	(घ) अन्य	
	(3) केरासिन जिसमें ऐविएशन स्पिरिट और व्हाइट स्पिरिट सम्मिलित है):	
	(क) केरासिन	
	(ख) वायुयान ईंधन	
	(ग) व्हाइट स्पिरिट	
	(4) गैस तेल, घरों के लिए ईंधन तेल और हल्के ईंधन तेल :	
	(क) गैस तेल (डीजल ईंधन)	
	(ख) अन्य द्रव ईंधन	

(1)	(2)	(3)
	(5) अवशिष्ट ईंधन तेल	
	(6) स्नेहक तेल और ग्रीज़े :	
	(क) तेल :	
	(1) मोटरों के लिए	
	(2) ऐविएशन तेल	
	(3) टरबाइन तेल	
	(4) सिलिण्डर तेल :	
	(क) 280 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्वलन-ताप	
	(ख) 280 डिग्री सेंटीग्रेड से अधर ज्वलन-ताप	
	(5) ट्रान्सफार्मर तेल	
	(6) डिफरेंशल और गियर तेल	
	(7) वैसलीन तेल	
	(8) अन्य	
	(ख) खनिज स्नेहक ग्रीजें (बाल बेयरिंग के लिए विशेष) हार्ड ग्रीजें और अन्य	
	(7) अन्य	
	(क) पैट्रोलियम	
	(1) प्रकाश के लिए	
	(2) विशेष (सिग्नलिंग स्थापना और फिशरी लैम्प के लिए)	
	(3) अन्य	
	(ख) व्हाइट स्टाक	
	(ग) अन्य	
87.	अमिश्रित प्रोविटामिन, चाहे वे जलीय घोल मे हों या नहीं :	28(28)(ख)
	(क) निकोटीनिक अम्ल और इसके कैल्शियम और सोडियम लवण	
	(ख) अन्य, निकोटीनिक अम्ल व्युत्पन्नों के सिवाय	
88.	एण्टिबायोटिक :	28(26), 28(26क), 28(27)
	(1) पेनिसिलिन और पेनिसिलिन	
	(2) टेट्रासाइलिनेन, आक्सीटेट्रासाइक्लिन और क्लोरटेट्रा-साइक्लिन	
	(3) स्ट्रेप्टामाइसिन सल्फेट और डाइहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट	
	(4) पाली मिक्सिन बी सल्फेट	
	(5) अन्य	

(1)	(2)	(3)
89	औषध द्रव्य, जिसमें पशुचिकित्सा औषध द्रव्य, सम्मिलित हैं .	28, 28(क)
90	अर्द्धपरिष्कृत फास्फेट	28, 35
91	आघात और विस्फोट प्रेरक कैप, पलीते और विस्फोट प्रेरक :	34(1), 73
	(1) पलीते :	
	(क) विद्युत :	
	(1) मिलीसेकिण्ड खान-पलीते	
	(2) अन्य	
	(2) विद्युत, विस्फोट प्रेरक :	
	(3) अन्य :	
	(क) शिकार के	
	(ख) अन्य	
92	रॉल में फिल्में (चलचित्र फिल्मों को अपवर्जित कर के), वे चाहे सुग्राहीकृत, अनुद्भासित, छिद्रीकृत हों या नहीं :	
	(1) रॉल में फिल्में :	
	(क) 8 मि० म० से अनधिक चौड़ाई की :	
	(1) सादी (काली, सफेद)	
	(2) रंगीन	
	(ख) 8 मि० मी० से अधिक और 35 मि० मी० से अनधिक चौड़ाई की :	
	(1) सादी (काली, सफेद)	
	(2) रंगीन	
	(ग) 35 मि० मी० से अधिक चौड़ाई की :	
	(1) सादी (काली, सफेद)	
	(2) रंगीन	
	(2) दोहरी विलेपित फिल्म	
	(3) अन्य	
93	फुटकर विक्रय के लिए फार्म या पैकिंग के रूप में या निर्मितियों के रूप में या वस्तुओं के रूप में (उदाहरणार्थ गन्धब-अभिक्रियागत पट्टियां, बत्तियां और मोमबत्तियां, पलाई पेपर) रखे गये रोगाणुनाशी, कीटनाशी, फंगसनाशी, अपतृणनाशी, अंकुरण-रोधी उत्पाद, चूहे मारने के विष और इसी प्रकार के उत्पाद :	

(1)	(2)	(3)
	(1) फुटकर विक्रय के लिए फार्म के रूप में रखा गया या 1 किलोग्राम से अनधिक शुद्ध भार की तत्काल पैकिंग में रखा गया गन्धक	
	(2) तांबे की निर्मितियां :	
	(क) टिकियों, लोजैन्जिस और इसी प्रकार के रूप में या 1 किलोग्राम से अनधिक भार के पैकिंग के आधानों में	
	(ख) अन्य प्रकार	
	(3) अन्य :	
	(क) आर्सेनिक अम्लों और क्रोमियम यौगिक के आधार पर निर्मित, काष्ठ-सेचन के लिए लवण	
	(ख) निकोटीन या तम्बाकू के आधार सहित	
	(ग) अन्य प्रकार	
	(1) टिकियों, लोजेन्सिऔर इसी प्रकार के रूप में या 1 किलोग्राम से अनधिक भार के पैकिंग के आधानों में	
	(2) अन्य	
94	संघनन, पौलिसंघनन और पौलिएडीशन उत्पाद, जो चाहे रूपांतरित या बहुलकीकृत हों अथवा नहीं, और चाहे रैखिक हों या नहीं (उदाहरणार्थ फैनोप्लास्ट, अमीनोप्लास्ट, एल्काइड, पालि-एलाइल एस्टर और अन्य असंतृप्त पालिएस्टर, सिलिकोन) :	
	(1) फेनोप्लास्ट	
	(क) प्रैसिंग पेस्ट	
	(ख) वार्निशों के लिए रेज़िन	
	(ग) संश्लिष्ट आसंजक	
	(घ) अन्य	
	(2) अमीनोप्लास्ट	
	(क) प्रेसिंग पेस्ट	
	(ख) वार्निशों के लिए रेज़िन	
	(ग) संश्लिष्ट आसंजक	
	(घ) वस्त्र प्रसाधन	
	(ङ) अन्य	
	(3) पालिएस्टर	

(1)	(2)	(3)
	(4) पालिएमाइड	
	(5) सिलिकोन	
	(6) इपोक्साइड रेज़िन	
	(7) अन्य	
95	बहुलकीकरण और सहबहुलकीकरण उत्पाद (उदाहरणार्थ पालिथिलीन, पालिटेट्राहैलोएथिलीन, पालिआइसोब्यूटिलीन, पालिएस्टाइरीन, पालिवाइनिल क्लोराइड, पालिवाइनिल एसिटेट, पालियाइनिल क्लोरोएसिटेट और अन्य पालिवाइनिल व्युत्पाद, पालिएक्रिलिक और पालिमेथेक्रिलिक व्युत्पाद, कूमारोनाइनेडन रेज़िन)	82(54), 87
	(1) पालिवाइनिल क्लोराइड :	
	(क) द्रव	
	(ख) पाउडर और दाने	
	(ग) अन्य रूप	
	(2) पालिवाइनिल एसिटेट	
	(3) पालिएथिलीन	
	(4) पालिप्रोपिलीन	
	(5) पालिआइसोब्यूटिलीन	
	(6) पालिएस्टाइरीन	
	(7) रेज़िन	
	(8) अन्य	
96	कृत्रिम रेज़िन, प्लास्टिक सामग्री, सेलुलोस एस्टर और एथर से बनी वस्तुएं :	28(14), 47(2), 52, 53, 72(3), 73, 73(16), 75 (12), 77, 84, 87
	(1) रैकेट कीडोरियां	
	(2) बास्केट बाल के लिए फ्लेक्सीग्लास फलक	
	(3) चलनियां	
	(3) परदे, बाल पेपर और अन्य उत्पाद	
	(5) माल के भण्डारकरण और परिवहन के लिए टंकियां, पीपे, सन्दूक और इसी प्रकार के आधान	

(1)	(2)	(3)
	(6) रसोईघर का गौण सामान	
	(7) स्वच्छता और शृंगार की वस्तुएं	
	(8) वयक्तिक सजावट की वस्तुएं	
	(9) बिजली के उपकरण और फिटिंग	
	(10) होज	
	(11) कपड़े	
	(12) अन्य	
97	गोजातीय पशुओं का चमड़ा (जिसमें भैंस का चमड़ा भी है) और शैमूवा--प्रसाधित चमड़े, पार्चमेन्ट प्रसाधित चमड़े, पेटेन्ट, चमड़े, नकली पेटेन्ट चमडे और धात्वीकृत चमड़े को छोड़कर, इक्वाइन चमड़ा	
	(1) काफ लेदर :	
	(क) शोधित, किन्तु चमड़े की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए परिसाधित नहीं	
	(2) अन्य	
	(क) गोजातीय चमड़ा	
	(1) शोधित, किन्तु चमड़े की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए परिसाधित नहीं	
	(2) अन्य	
	(ख) अन्य	
98	रोलों या चादरों में मशीन-निर्मित कागज और पेपर बोर्ड	28 (14), 44, 44(1) 44(4), 45(क), 87
	(1) अखबारी कागज	
	(2) छापने और लिखने का कागज	
	(क) छापने का कागज	
	(ख) लिखने का कागज	
	(3) क्राफ्ट पेपर और क्राफ्ट पेपर बोर्ड	
	(क) केबिल के लिए	
	(ख) लपेटने का कागज	
	(4) सिगरेट का कागज	
	(5) अन्य :	

(1)	(2)	(3)
	(क) कागज	
	(1) कवर के लिए प्रयुक्त प्रकार की जिल्दसाजी के लिए	
	(2) स्वास्थ्यकर प्रयोनों के लिए (टायलेट पेपर और नेपकिन)	
	(3) क्राफ्ट रैपिंग पेपर और पेपरबोर्ड से भिन्न लपेटने का कागज	
	(4) ड्राइंग का काजगज	
	(5) स्याहीचूस	
	(6) फिल्टर-पत्र	
	(7) अन्य	
	(ख) पेस्ट बोर्ड	
	(1) सफेद, धूसरया भूरा	
	(2) विशेष	
	(3) अन्य	
	(ग) पेपर बोर्ड	
	(1) बहुपरती पेपर बोर्ड	
	(2) चिथड़ों से	
	(घ) सेलुलोस बैंडिंग	
99.	कागज या पेपर बोर्ड के आधार पर निर्मित फर्श के आच्छादन, चाहे आकार में कटा हो या न हो, लिनोलियम यौगिक के बिलोपन सहित या उसके बिना	44,44(4),45(क) 87
	(1) कागज पृष्ठ पर	
	(2) पेपरबोर्ड पृष्ठ पर	
100.	फुटकर विक्रय के लिए न रखा गया सूती धागा	47(5), 47(6)
	(1) अविरंजित, जो मर्सराइज न हो	
	(2) अन्य	
101.	टैरी टावलिंग और इसी प्रकार के टैरी फैब्रिकों से भिन्न बुने हुए सूती फैब्रिक	48(3),48(9), 53.
	(1) अविरंजित	
	(क) कम्बलों के लिए	
	(ख) अन्य	
	(2) अन्य	

(1)	(12)	(3)
102.	कयर से बने हुए टुआइन, कार्डेज, रस्सियां और केबिल चाहे वे सम्मिश्रिक हों या न हों	50(6),50(8)
103.	पुरुषों और बालकों के नीचे पहनने के सिले सिलाये वस्त्र जिनमें कालर कमीजों के सामने के हिस्से और कफ सम्मिलित हैं	49(क),49(ख),52, 53
	(1) संश्लिष्ट तन्तुओं के	
	(2) पुनर्योजित तन्तुओं के	
	(3) ऊन या पशु के महीन बालों से	
	(4) सूत के	
	(5) प्राकृतिक रेशम के	
	(6) अन्य सूती सामग्री के	
104.	स्त्रियों, बालिकाओं, बच्चों के नीचे पहनने के सिले सिलाए वस्त्र	49(क),49 (ख),52, 53
	(1) संश्लिष्ट तन्तुओं के	
	(2) पुनर्योजित तन्तुओं के	
	(3) ऊन या पशु के महीन बालों से	
	(4) सूत के	
	(5) प्राकृतिक रेशम के	
	(6) अन्य सूती सामग्री के	
105.	बेड लिनन, टेबिल-लिनन, टायलट लिनन, किचन लिनन, परदे और अन्य साज-सामान की वस्तुएं	49(क),49(ख), (49(ग),53
	(1) बेड लिनन, टायलट लिनन और किचन लिनन	
	(क) सूत की	
	(ख) संश्लिष्ट तन्तुओं की	
	(ग) पुनर्योजित तन्तुओं की	
	(घ) प्राकृतिक रेशम की	
	(ङ) अन्य सूती सामग्री की	
	(2) अन्य	
106.	जूते जिनके बाहरी सोल और ऊपर का भाग रबड़ या कृत्रिम प्लास्टिक सामग्री के बने हों	54

(1)	(2)	(3)
107.	ऐस्बेस्टास सीमेंट की, सेलुलोस तन्तु सीमेन्ट की या तत्समान वस्तुएं	58(1),87
	(1) प्लेटें (छत प्लेटें, नालीदार चादरें, वाल प्लेट और तत्समान वस्तुएं)	
	(क) स्बेस्टास ऐसीमेन्ट की	
	(ख) सेलुलोस तन्तु-सीमेन्ट की या तत्समान वस्तुएं।	
	(2) अन्य	
108.	कच्चा लोहा, ढलवां लोहा, कच्चे, ब्लाक, ढेलों और अन्य रुपों में स्पीगेलआइजेन	
	(1) स्पीगेलआइजेन	
	(2) अन्य	
	(क) धूसर कच्चा लोहा	
	(ख) सफेद कच्चा लोहा	
	(ग) अन्य ।	
109.	नीचे वर्णित प्ररूप में मिश्रधातु इस्पात और उच्च कार्बन इस्पात	63(2), 63 (3), 63(8) 63(14), 63(14क) 63(19) 63(20),63(25), 63(28),63(30), 63(32),63(20क)
	(1) उच्च कार्बन इस्पात की सिलें	
	(2) मिश्र धातु इस्पात की सिलें	
	(3) उच्च कार्बन इस्पात के ब्लूम, बिलेट, स्लैब शीटबार और स्थूलतः कुट्टित टुकड़े;	
	(4) मिश्रधातु इस्पात के ब्लूम, बिलेट, स्लैब शीट बार और स्थूलतः कुट्टित टुकड़े;	
	(5) उच्च कार्बन इस्पात के पुनः बेल्लन के लिए कुंडलियां;	
	(6) मिश्रधातु इस्पात के पुनः बेल्लन के लिए कुंडलियां;	
	(7) उच्च कार्बन इस्पात की तार छड़;	
	(8) मिश्रधातु इस्पात की तार छड़;	
	(9) उच्च कार्बन इस्पात की शलाका और छड़े (तार छड़ को अपवर्जित करके) और खोखला खनन बरमा इस्पात;	

(1)	(2)	(3)

(10) मिश्रधातु इस्पात की शलाकाएं और छड़े (तार छड़ को अपवर्जित करके) और खोखला खनन बरमा इस्पात ;

(11) उच्च कार्बन इस्पात के 80 मि० मी० या उससे अधिक के एंग्ल्स, आकृतियां तथा सेक्शन और शीट पाइलिंग ;

(12) मिश्रधातु इस्पात के 80 मि० मी० या उससे अधिक के एंग्ल्स, आकृतियां तथा सेक्शन और शीट पाइलिंग ;

(13) उच्च कार्बन इस्पात के 80 मि० मी० से न्यून के एंग्ल्स, आकृतियां और सेक्शन;

(14) मिश्रधातु इस्पात के 80 मि० मी० से न्यून के एंग्ल्स, आकृतियां और सेक्शन;

(15) उच्च कार्बन इस्पात की मोटाई में 4.75 मि० मी० से अधिक की चादरें और प्लेटें, और यूनीवर्सल प्लेटें ;

(16) मिश्रधातु इस्पात की मोटाई में 4.75 मि० मी० से अधिक की चादरें और प्लेटें, और यूनीवर्सल प्लेटें;

(17) उच्च कार्बन इस्पात की मोटाई में 3 मि० मी० या उससे अधिक किन्तु 4.75 मि० मी० से अनधिक की चादरें और प्लेटें;

(18) मिश्रधातु इस्पात की मोटाई में 3 मि० मी० या उससे अधिक, किन्तु 4.75 मि० मी० से अनधिक की चादरें और प्लेट;

(19) उच्च कार्बन इस्पात की मोटाई में 3 मि० मी० से न्यून की, आपट्टित, अलेपित या अनावृत चादरें और प्लेटें;

(20) मिश्रधातु इस्पात की मोटाई में 3 मि० मी० से न्यन की, आपट्टित, अलेपिक या अनावृत चादरें और प्लेटें;

(21) उच्च कार्बन इस्पात की मोटाई में 3 मि० मी० से न्यून की, पट्टित, लेपित या आवृत चादरें और प्लेटें;

(22) मिश्रधातु इस्पात की मोटाई में 3 मि० मी० से न्यून की, पट्टित, लेपित या आवत चादरें और प्लेटें;

(23) उच्च कार्बन इस्पात की पणिका;

(24) मिश्रधातु इस्पात की पणिका;

(25) उच्च कार्बन इस्पात का तार;

(26) मिश्रधातु इस्पात का तार ;

(27) उच्च कार्बन या मिश्रधातु इस्पात की पडल्ड शलाकाएं पाइलिंग, ब्लॉक, लम्प और तत्समानत्य हूप और पट्टी ;

(1)	(2)	(3)
110	ताम्र की पिटवां शलाका, छड़ एंगल्स, आकृतियां और सेक्शन ; ताम्र का तार :	64 64(3) 64 (4) 70 70(1) 70(6), 72(ङ) 72(12क)
	(1) शलाकाएं :	
	(क) ताम्र, मिश्रधातुओं से भिन्न, ताम्र के ;	
	(ख) ताम्र मिश्र धातुओं के;	
	(2) एंगल्स, आकृतियां और चेक्शन ;	
	(क) ताम्र मिश्र धातुओं से भिन्न, ताम्र के;	
	(ख) ताम्र मिश्र धातुओं के;	
	(3) तार :	
	(क) ताम्र मिश्र धातुओं से भिन्न, ताम्र के;	
	(ख) ताम्र मिश्र धातुओं के ;	
111	ताम्र की पिटवां प्लटें, चादर और पट्टियां :	64, 70, 70(1), 70(6), 72(2) :
	(1) चादरें :	
	(क) ताम्र मिश्र धातुओं से भिन्न, ताम्र की ;	
	(ख) ताम्र मिश्र धातुओं की ;	
	(2) पट्टी :	
	(क) ताम्र मिश्र धातुओं से भिन्न, ताम्र की ;	
	(ख) ताम्र मिश्र धातुओं की ;	
	(3) प्लेट :	
	(क) ताम्र मिश्र धातुओं से भिन्न, ताम्र की	
	(ख) ताम्र मिश्र धातुओं की ;	
112	0.15 मि०मी० से अनधिक मोटाई (किसी बैकिंग को अपवर्जित करके) की ताम्र पणिका (चाहे वह समुदभूत आकृति के अनुसार काटी हुई छेद की हुई लेपित, मुद्रित या कागज या अन्य मजबूत करने वाली सामग्री सपुष्ट हो या न हो) ;	
	(1) संपुष्ट :	
	(2) अन्य :	

(1)	(2)	(3)
113	ताम्र के ट्यूब तथा पाइप और उनके लिए ब्लैंक्स ताम्र की खोखली शलाकाएं :	64, 64(5) 70क 70(1) 70(6) :
	(1) ट्यूब :	
	(क) ताम्र मिश्रधातुओं से भिन्न ताम्र की ;	
	(ख) ताम्र मिश्रधातुओं की ;	
	(2) अन्य :	
114	एल्यूमिनियम की पिटवां शलाकाएं, छड़ें, ऐंग्लस, आकृतियां और सेक्शन और एल्यूमिनियम तार :	66, 66(1), 70(1), 72(12) :
	(1) शलाकाए :	
	(क) एल्यूमिनियम की मिश्रधातुओं से भिन्न एल्यूमिनियम की ;	
	(ख) एल्यूमिनियम की मिश्रधातुओं की ;	
	(2) एग्ल्स आकृतियां और सेक्शन :	
	(क) एल्यूमिनियम की मिश्रधातुओं से भिन्न एल्यूमिनियम के ;	
	(ख) एल्यूमिनियम की मिश्रधातुओं के	
	(3) तार :	
	(क) एल्यूमिनियम की मिश्रधातुओं से भिन्न एल्यूमिनियम के ;	
	(ख) एल्यूमिनियम की : मैं मिश्रधातुओं के ;	
115	एल्यूमिनियम की पिटवां चादर और पट्टियां :	66(क), 70(1)
	(1) चादर और प्लेट :	
	(क) एल्यूमिनियम की मिश्रधातुओं से भिन्न एल्यूमिनियम की ;	
	(ख) एल्यूमिनियम की मिश्रधातुओं की ;	
	(2) पट्टी	
	(क) एल्यूमिनियम की मिश्रधातुओं से भिन्न एल्यूमिनियम की ;	
	(ख) एल्यूमिनियम की मिश्र धातुओं की	

(1)	(2)	(3)
116	0.20 मि०मी० से अनधिक मोटाई (किसी बैकिंग को अपवर्जित करके) की एल्यूमिनियम पणिका (चाहे समुद्भूत आकृति के अनुसार काटी हुई छेद की हुई लेपित मुद्रित या कागज या अन्य म बूत करने वाली सामग्री से सपुष्ट हो या न हो) :	66, 87, 70(1)
	(1) सपुष्ट	
	(2) अन्य	
117	एल्यूमिनियम पाउडर और पत्रक . . .	30, 66, 70(1)
	(1) एल्यूमिनियम की मिश्रधातुओं से भिन्न एल्यूमिनियम के	
	(2) एल्यूमिनियम की मिश्रधातुओं के	
118	एल्यूमिनियम के ट्यूब तथा पाइप और उनके ब्लैंक्स एल्यूमिनियम की खोखली शलाकाए:	66, 70(1)
	(1) ट्यूब :	
	(क) एल्यूमिनियम की मिश्रधातुओं से भिन्न एल्यूमिनियम की	
	(ख) एल्यूमिनियम की मिश्रधातुओं की	
	(2) अन्य	
	(क) एल्यूमिनियम की मिश्रधातुओं से भिन्न एल्यूमिनियम की	
	(ख) एल्यमिनियम की मिश्र धातुओं के	
119	एल्यू मिनियम की घरेलू प्रयोजनों के लिए सामान्यतः प्रयुक्त प्रकार की वस्तुओं, और घर के भीतर प्रयोग के लिए बिल्डर्स के सैनिट्री सामान, ऐसी वस्तुओं और सामानों के भाग :	66, 71(ख)
	(1) रसोई घर में प्रयुक्त थालियां ;	
	(क) 10 लीटर से अनधिक धारिता की	
	(ख) 10 लीटर से अधिक धारिता की	
	(2) कांटों और चम्मचों को छोड़कर रसोई के अन्य बर्तन और टेबुल बर्तन ;	
	(3) शृंगारिक और सैनिटरी फिटिंग,	
	(4) कांटों और चम्मचों को छोड़कर अन्य घरेलू वस्तुएं	

(1)	(2)	(3)
120	डिजल इजनों के भाग	72(3), 75(10)
121	जल शीतकयंत्र	72(5), 72(21)
122	मिट्टी, खनिजों या अयस्कों के लिए उत्खनन, समतलन टैम्पिंग बोरिंग और निष्कर्षण की स्थिर या चल मशीनरी (उदाहरणार्थ यांत्रिक शावेल कोयलाकर्तक, उत्खनक, स्केपर, समतलन और बुल डोजर, पाइल-ड्राईवर तथा स्नो प्लाऊ जो स्व नोदित न हो (जिसमें स्नोप्लाऊ के अटैचमेंट भी सम्मिलित है)	71(ख), 72, 72(6), 72(18), 72(20), 75
	(1) स्व नोदित मशीनों से भिन्न स्नोप्लाऊ स्नोस्वीपर और अन्य बर्फ हटाने वाली मशीन	
	(2) एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने वाली मशीनें, जैसे स्केपर और तत्समान :	
	(क) स्व नोदित	
	(ख) खींची जाने वाली	
	(3) उत्खनक, यांत्रिक शावेल और तत्समान स्वनोदित	
	(4) बुलडोजर, ड्रेजर, ऐंगिल डोजर और तत्समान मशीनरी :	
	(क) 200 अ०श० से अधिक शक्ति के इंजिन सहित	
	(ख) 200 अ० श० से अधिक शक्ति के इंजन सहित	
	(5) सड़क रोलरों से भिन्न रेमिंग मशीनें	
	(6) पाइल ड्राइवर और पाइल निष्कर्षक	
	(7) हरा बरमाने की मशीन	
	(8) पेट्रोलियम निष्कर्षण संयंत्र	
	(9) खनन मशीनें	
	(10) सुरंग बनाने वाली मशीनें	
	(11) ग्रेडर	
	(12) अन्य	
123	चीनी के विनिर्माण के लिए मशीनें . . .	72, 72(6), 72(23)
	(1) ईख कोल्हू	

(1)	(2)	(3)
	(2) ईख/चीनी के विनिर्माण और परिष्करण के लिए मशीनें	
124	जूट और सूती टैक्सटाइल मशीनरी . . .	72, 72(1), 72 (6)
125	निम्नलिखित प्रकार के वैद्युत माल : . . . जनित्र, मोटर, परिवर्तित्र (घूर्णी या स्थिर) परिणामित्र, परिशोधक, परिशोधन उपकरण, प्रेरक	72, 72(6), 72 (14) 72(39), 73, 77
	(1) जनित्र, मोटर, परिवर्तित्र :	
	(क) जनित्र और मोटर	
	(1) बर्नर के लिए मोटर	
	(2) अन्य :	
	(i) जिनमें से प्रत्येक 5 किलोग्राम से अनधिक भार का हो	
	(ii) जिनमें से प्रत्येक 5 किलोग्राम से अधिक किन्तु 100 किलोग्राम से अनधिक भार का हो	
	(iii) जिनमें से प्रत्येक 100 किलोग्राम से अधिक किन्तु 1000 किलोग्राम से अनधिक भार का हो	
	(iv) जिनमें से प्रत्येक 1000 किलोग्राम से अधिक भार का हो	
	(ख) परिवर्तित्र :	
	(1) घूर्णी	
	(2) स्थिर	
	(2) परिणामित्र	
	(क) माप के लिए	
	(1) प्रत्येक 10 किलोग्राम से अनधिक भार का हो	
	(2) जिनमें से प्रत्येक 10 किलोग्राम से अधिक भार का हो।	

(1)	(2)	(3)
	(ख) अन्य :	
	(1) जिनमें से प्रत्येक 1 किलोग्राम से अनधिक भार का हो	
	(2) जिनमें से प्रत्येक 1 किलोग्राम से अधिक किन्तु 100 किलोग्राम से अनधिक भार का हो	
	(3) जिनमें से प्रत्येक 100 किलोग्राम से अधिक किन्तु 1000 किलोग्राम से अनधिक भार का हो	
	(4) जिनमें से प्रत्येक 1000 किलोग्राम से अधिक भार का हो	
	(3) परिशोधक और परिशोधन उपकरण	
	(4) अन्य	
126	बिजली के पंखे	73(18)
127	रेडियो अभिग्राही उपकरण	73(10), 73(11)
128	रोधी (जिसमें इनेमलित या एनोडीकृत सम्मिलित है) विद्युत तार, केबिल शलाका, पट्टी और तत्समान वस्तुएं (जिसमें समाक्ष केबिल सम्मिलित है) चाहे उनमें संयोजक फिट हों या न हों :	72(ङ०) 73(1), 73 (6)
	(1) केबिल सेट	
	(2) शक्ति पारेषण केबिल	
	(3) दूरसंचार केबिल	
	(4) समाक्ष केबिल	
	(5) रोधी चालक	
	(6) कुंडलन तार	
	(7) अन्य	

(1)	(2)	(3)
129	रेल और ट्राम माल वैगन, माल वैगन और ट्रकें : . .	74(1), 74(2):
	(1) रेल माल वैगन, माल वैगन और ट्रकें :	
	(क) प्रशातित्र वैगन	
	(ख) ट्रैक-कार और तत्समान माल वैगन	
	(ग) सिल, द्रवचालित या अन्यथा स्व-विभर्जक माल वैगन	
	(घ) भारी बोझ के लिए अवनंततल सहित प्लेटफार्म वैगन	
	(ङ) छोटे ढोरों के परिवहन के लिए वैगन	
	(च) बड़े ढोरों के परिवहन के लिए वैगन	
	(छ) कुक्कुट के परिवहन के लिए वैगन	
	(ज) जीवित मछली के परिवहन के लिए वैगन	
	(झ) टिप-ट्रकें और पिट ट्रॉलियां	
	(ट) अन्य :	
	(1) ढके माल वैगन	
	(2) खुले माल-वैगन	
	(3) अन्य	
	(2) ट्राम माल वैगन, माल वैगन और ट्रकें ।	
130	व्यक्तियों, माल या सामग्रियों के परिवहन के लिए मोटर वाहन (जिसमें सर्विस मोटर गाड़ी सम्मिलित है, किन्तु मोटर साईकिल, मोटर साईकिल सहायक मोटर युक्त साइकिलें, साइड सहित या बिना साइड-कार के, और सभी प्रकार की साइड कार छोड़कर)	75, 75(1), 75(3):
	(1) लोक सेवा प्रकार की मोटर गाड़ियों को छोड़कर व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर गाड़ियां	
	(क) अस्पताल वैन,	
	(ख) अन्य :	
	(2) लोक-सेवा प्रकार की गाड़ियां :	
	(क) नगरीय परिवहन के लिए बसें,	
	(ख) अन्य बसें,	
	(ग) ट्रॉली बसें,	

(1)	(2)	(3)
	(घ) अन्य	
	(3) माल या सामग्री के परिवहन के लिए मोटर गाड़ियां :	
	(क) टैंक कारें	
	(ख) प्रशीतित्र कारें और रोधन गाड़ियां	
	(ग) ट्रकें, टिपर और डम्पर,	
	(1) 30 टन से अधिक वहन धारिता के;	
	(2) 20 टन से अधिक किन्तु 30 टन से अनधिक वहन-धारिता के;	
	(3) 10 टन से अधिक किन्तु 20 टन से अनधिक वहन धारिता के;	
	(4) 2 टन से अधिक किन्तु 10 टन से अनधिक वहन-धारिता के;	
	(5) 2 टन से अनधिक वहन-धारिता के	
	(घ) कर्षण ट्रकें;	
	(ङ) कूड़ा संग्रहण ट्रकें;	
	(च) अन्य;	
131	निम्नलिखित मोटर गाड़ियों के पुर्जे और अतिरिक्त सामान, अर्थात् :—	72(3), 75(9), 75(10), 75(11),
	(1) ट्रैक्टर (रेल-स्टेशन प्लेटफार्म पर प्रयुक्त घसर्स ट्रकें जैसे फोर्क-लिफ्ट ट्रकें, प्लेटफार्म ट्रकें) जिनमें शक्ति टेक-आंफ, विंच या पुली फिट हों या न हों;	75(12), 75(12(क), 75(13), 75(14),
	(2) व्यक्ति, माल या सामग्री के परिवहन के लिए मोटर गाड़ियां (जिसमें स्पोर्ट्स मोटर गाड़ियां किन्तु मोटर साईकिलें आटो-साईकिलें और तत्समान सम्मिलित नहीं हैं)]	75(15), 75(16), 75(18):
	(3) विशेष प्रयोजन-मोटर लारियां और वैन (जैसे ब्रेक डाउन लारियां, दमकल, फायर स्केप्स, सड़क बुहारने वाली लारियां, स्नोप्लाउ, छिड़काव लारियां, क्रेन लारियां, सर्चलाइट लारियां, चल वर्कशाप और चल विकिरण-चिकित्सात्मक-एकक), किन्तु ऊपर (2) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मोटर गाड़ियां इसमें सम्मिलित नहीं हैं।	

(1)	(2)	(3)
132	ग्रामोफोन रिकार्ड :	79
	(क) विदेशी भाषा पाठ्यक्रमों के और भाषण के अन्य ग्रामोफोन रिकार्ड जिनमें संगीत न हो;	
	(ख) अन्य	
133	ताश के पत्ते	84(ख)"

2. यह अधिसूचना प्रथम अक्तूबर, 1969 को प्रवृत्त होगी ।

[सं० 141/फा० सं० 11/6/69-सीमा-शुल्क 1]

ज्योतिर्मय दत्त,

उप सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970